(373)

THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES

Creating - Better India

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

बेहतर भारत के निर्माण की ओर

National Headquarters राष्ट्रीय मुख्यालय

Society Registration No. S462 of 1950-1951

President
DR. ANIL KUMAR JAIN, M.P. (RAJYA SABHA)
डॉ. अनिल कुमार जैन, सांसद (राज्य सभा)

Chief National Commissioner
DR. K.K. KHANDELWAL, I.A.S. (RETD.)
डॉ. के.के. खण्डेलवाल, भा.प्र.से. (से.नि)

Ref. No. BSG/NHQ. D-3-19 | 1259 | 2022-23 Date: 02-09-20

To
The State Secretary
The Bharat Scouts and Guides
Uttarakhand State
State Headquarters
55, Mothrowala MARG Ajabpur CHOCK
Dehradun DEHRADUN
248001

SUB.:-Approval of rectified State Bye-Laws of the Bharat Scouts and Guides, Uttarakhand State..reg.

REF.:- Your Email dated 22/08/2022 and hard copy of State Bye-Laws received at The Bharat Scouts and Guides, National Headquarters, New Delhi on 25/08/2022.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the State Bye-Laws of the Bharat Scouts and Guides, Uttarakhand State duly approved by the Competent Authority, for your kind perusal.

Thanking you,

Yours Sincerely,

(Raj Kumar Kaushik)
Director

Encl.:- As above.

Copy submitted to the:-

1. **Hon'ble Chief National Commissioner of the Bharat Scouts and Guides for his kind information.**
2. **Hon'ble Additional Chief National Commissioner of the Bharat Scouts and Guides for his kind information.**

C. c. to:- 1. The State Chief Commissioner, The Bharat Scouts and Guides, Uttarakhand State for kind information.
2. Executive Director, BS&G, NHQ.
3. Joint Director of Guides (Prog. and Trg.)/I/c Joint Director(SS), BS&G, NHQ.
4. Joint Director of Scouts (Prog. and Trg.), BS&G, NHQ.
5. Assistant Director, BS&G, Northern Region.
6. AS-1, BS&G, NHQ.

DIR/AS-1/02 Sept. 2022

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उत्तराखण्ड

प्रादेशिक उपनियमावली

यह नियमावली प्रादेशिक संस्था भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड राज्य हेतु तैयार की गई है जिसकी सीमाएं उत्तराखण्ड प्रदेश के राजस्व अभिलेखानुसार निर्धारित होगी।

1 अ: यह नियमावली राष्ट्रीय मुख्यालय के पत्र सं0 157/2020 दि0 3 दिसम्बर 2020 विषयांक 69 नेश्नल काउन्सिल 24-11-2019 एवं पत्र संख्या BSG/N.H.Q/D-3-1/098/2020-21 एवं 138/2020 दिनांक 09-10-2020 क्रम में प्रदेश की पूर्व उपनियमावली से संशोधित की गयी उपनियमावली है।

ब: यह नियमावली चीफ नेश्नल कमिश्नर की संस्तुति के बाद लागू होगी । सभी पद जो इस नियमावली से पूर्व निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत चुनाव से अस्तित्व में आये हैं उन पदों पर चयनित पदाधिकारी अपना कार्यकाल पूर्ण करेगें एवं उनके कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात ही उन पदों पर इस संशोधित नियमावली के अनुरूप एवं प्रक्रियाए अस्तित्व में आयेगी।

2

(i) नाम–प्रादेशिक संस्था का नाम आंग्ल भाषा में "The Bharat Scouts and Guides Uttarakhand State Association" एवं हिन्दी में " भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्था" तथा संक्षिप्त संज्ञा आंग्ल भाषा में "B.S.&G.U.K" तथा "बी0एस0एण्ड जी0यू0के0" होगा ।

(ii) इस निमयावली को आंग्ल भाषा में "The Bharat Scouts and Guides Uttarakhand By-Laws" एवं हिन्दी में "भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड उपनियमावली" के नाम से जाना जायेगा ।

(iii) संस्था का पता The Bharat Scouts and Guides Uttarakhand State Headquarters, 55 Mothorawala Marg, Ajabpur Chowk, Dehradun, Uttarakhand - 248001 .
(विशेष परिस्थितियों में पता परिवर्तन प्रादेशिक कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा । तात्कालीक विशेष आवश्यकता एवं परिस्थितियां उत्पन्न होने पर कार्यकारिणी से पूर्व प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक मुख्यायुक्त से अनुमति लेते हुए कार्यकारिणी में पारित होने की प्रत्याशा में नवीन पते पर कार्य कर सकते है।)

(iv) प्रादेशिक संस्था अर्थात भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड।

(v) मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त अर्थात चीफ नेश्नल कमिश्नर।

(vi) निदेशक अर्थात डायरेक्टर, भारत स्काउट्स एंव गाइड्स।

(vii) चेयरपरसन् एवं को–चेयरपरसन् को क्रमशः सभापति व उपसभापति भी कहा जा सकेगा।

(viii) प्रत्येक प्रभाग अर्थात स्काउट अथवा गाइड विंग।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,

प्रादेशिक सचिव
उत्तराखण्ड

(ix) प्रत्येक विभाग अर्थात संगठन, प्रशिक्षण, प्रशासनिक एवं विधायी विंग।
(x) संगठन विभाग अर्थात प्रादेशिक संगठन आयुक्त द्वारा उनके अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकार।
(xi) प्रशिक्षण विभाग अर्थात प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त द्वारा उनके अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकार।
(xii) प्रशासनिक विभाग अर्थात प्रादेशिक सचिव द्वारा उनके अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकार।
(xiii) विधायी विभाग अर्थात प्रादेशिक अध्यक्ष द्वारा प्रादेशिक परिषद, प्रादेशिक मुख्यायुक्त आयुक्त द्वारा प्रादेशिक कार्यकारिणी के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकार।
(xiv) प्रादेशिक परिषद अर्थात स्टेट काउंसिल।
(xv) प्रादेशिक कार्यकारिणी अर्थात स्टेट ऐक्सीक्यूटिव।
(xvi) परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा ।
(xvii) कार्यकारिणी के सभी मनोनीत व चुनाव के पदों का कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल के सापेक्ष/समानुपाती होगा।
(xviii) " **स्काउट** " शब्द में –बालक बन्नी, कब, स्काउट, रोवर तथा "**गाइड**" शब्द में–बालिका बन्नी, बुलबुल, गाइड, रेंजर तथा अन्य स्काउट–गाइड के अन्तर्गत आने वाले बालक–बालिकायें, निहित एवं समाहित है।
(xix) प्रादेशिक सेवानियमावली में दर्शाये गये पदों पर की जाने वाली वैतनिक नियुक्तियां सेवानियमावलियों के नियमों से संचालित /आच्छादित होंगी।
(xx) पदेन सदस्यता अर्थात यदि किसी पद पर होने के कारण किसी को किसी प्रकार की सदस्यता प्राप्त होती है तों वह पद समाप्त होने की स्थिति में वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, अर्थात पदेन सदस्यता मूल पद के सापेक्ष होगा।
(xxi) पदेन सदस्य के मूल पद पर रिक्तता के अभाव की स्थिति में संस्था में उस पद के पश्चात आने वाले पद पर आयु से वरिष्ठ उपलब्ध पदाधिकारी को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जा सकेगा।
(xxii) जहां पर भी आयु या अनुभव से वरिष्ठ व्यवस्था है वहां पर उपलब्ध सदस्य को उक्त मापदंडो में क्रमानुसार अवसर दिया जायेगा।
(xxiii) निर्वाचन द्वारा चयनित अर्थात चुनाव में साधारण बहुमत प्राप्त करने पर सफल घोषित किया जाना, अर्थात निर्वाचन से पूर्ति किये जाने वाले सभी पदों में सामान्य बहुमत प्राप्त किया जाना होगा।
(xxiv) आयु से वरिष्ठता के आधार पर क्रम अथवा पद निर्धारण के लिये सम्बन्धित सदस्य को अपनी जन्म तिथि की पुष्टि किये जाने वाला वैध प्रमाणपत्र प्रादेशिक सचिव को उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर प्रादेशिक सचिव आवश्यकता होने पर वरिष्ठता का कम निर्धारित करेंगे।
(xxv) अनुभव से वरिष्ठता के आधार पर कम अथवा पद निर्धारण के लिये सम्बन्धित सदस्य को संस्था में कार्य किये जाने के अपने प्रमाण पत्र अथवा वारंट जो भी उपलब्ध हों सम्बन्धित जिला संस्था के सचिव से सत्यापित आवेदन प्रादेशिक

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

सचिव को उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर प्रादेशिक सचिव आवश्यकता होने पर वरिष्ठता का कम निर्धारित करेंगे।

(xxvi) सभी प्रकार के कार्य, प्रकार्य एवं विधियां जो APRO-I APRO-II APRO-III & S.O.T Scout/Guide प्रादेशिक सेवानियमावली, एवं प्रादेशिक वित्तीय नियमावली में आच्छादित है इन्हीं नियमावली के अनुरूप सम्पादित होंगी।

(xxvii) सभी प्रकार की बैठके ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन की जा सकेंगी। ऑफलाईन बैठक में संयुक्त रूप में सदस्य ऑनलाईन भी प्रतिभाग कर सकेंगे एवं ऐसे सदस्यों की उपस्थिति को मान्यता प्रदान की जायेगी एवं उनकी कोरम में गणना जायेगी । कोरम का नियम बी0एस0जी0 रूल के अनुसार होगा ।

(xxviii) प्रादेशिक मुख्यालय से प्रेषित डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल को समान मान्यता होगी।

(xxix) यह उपनियमावली भारत वर्ष के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नियमों उपनियमों का सम्मान करेगी अर्थात यदि इस उपनियमावली का नियम भारतवर्ष के संविधान द्वारा प्रदत्त /जनित किसी नियम/उपनियम का उलंघन करता प्रतीत होगा तो उसे स्वतः निरस्त माना जायेगा ।।

3 राजस्व राज्य के कानूनी विभाजन/पुर्न सीमांकन की अवस्था में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के माह अगस्त 2021 में मुद्रित 'रूल बुक' नामक पुस्तिका के स्टेट ऐसोसिएसन के चैप्टर 3 में रूल नम्बर (48.1से48.10.8 -तक पूर्ण)को अक्षरंश अंगीकृत करते हुये उसके अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।(इसी प्रकार जनपद के विभाजन हेतु भी नियम का स्वरूप उक्त के अनुरूप ही होगा।)

4 प्रादेशिक संस्था ,राष्ट्रीय संस्था से सम्बद्ध होगी, इसकी पुष्टि में राष्ट्रीय संस्था एक अधिकार पत्र (Charter) निर्गत करेगी जो कि मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त एवं निदेशक के हस्ताक्षर युक्त होगा। केवल इसी आधार पर उक्त प्रादेशिक संस्था अपना कार्य सम्पन्न करेगी।

5 प्रादेशिक संस्था भारत स्काउट एवं गाइड के उद्देश्य, नीति–नियम और संगठन में आस्था रखेगी और मानेगी एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को वरीयता देगी ।

6 प्रादेशिक संस्था, समय–समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित व राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित निर्धारित समय पर, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क, व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क आदि वर्षवार राष्ट्रीय संस्था को भुगतान करेगी। जिस वर्ष की धनराशि देय है वह धनराशि, उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर 12 माह अथवा वह बढी हुई अवधि जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा प्रदत्त की गयी हो, में देय होगी। उक्त अवधि के समाप्त होने के छः माह पश्चात भी भुगतान लम्बित रहने की अवस्था में कोई भी प्रादेशिक संस्था का पदाधिकारी एवं चयनित प्रतिनिधि न तो राष्ट्रीय संस्था, कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय इलैक्ट्रोल कॉलेज की बैठक में उपस्थित होगा, न ही लाभ लेगा, न ही मत देगा, न ही किसी प्रादेशिक परिषद, कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय इलैक्ट्रोल कॉलेज के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने वाले चुनावों से सम्बन्धित पद का प्रत्याशी होगा जब तक कि उक्त भुगतान पूर्ण रूप से नहीं किया जाता।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइडस उत्तराखण्ड

7 प्रादेशिक संस्था की समस्त कानूनी प्रक्रिया व कानूनी उत्तरदायित्व प्रादेशिक सचिव के नाम से/नाम के द्वारा संचालित/कियान्वित होगा। (The State Association shall sue and be sued in the name of the state secretary)

8 **सदस्यता–**

(i)भारत का कोई भी नागरिक जो उक्त प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत निवास करता है तथा संस्था के नियम, प्रतिज्ञा, नीति व उददेश्यों में आस्था रखता हो व संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रादेशिक संस्था का सदस्य बन सकता है।

(ii) अन्य किसी देश का नागरिक यदि अल्प समय के लिए प्रदेश संस्था की न्यायिक परिधि में निवास कर रहा हो तो उसे प्रादेशिक मुख्यायुक्त की संस्तुति एवं मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के अनुमोदन पर सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यदि वह निम्न प्रतिज्ञा अंगीकृत करे।
"मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा/करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगा/करूँगी और स्काउट/गाइड नियम का पालन करूँगा/करूँगी।"

9–प्रादेशिक संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से होंगे:–

अ– समस्त जिला संस्थाऐं।

ब– ऐसी स्थानीय संस्थाओं के चेयर–परसन_जो स्थानीय संस्थायें प्रादेशिक संस्था से सीधे सम्बद्ध हो ।

स– ऐसे पंजीकृत ग्रुप लीडर जो सीधा प्रदेश संस्था से सम्बद्ध हो ।

द– प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा वर्तमान तक अंगीकृत किये गये ऐसे आजीवन सदस्य जिन्होने सम्बन्धित सदस्यता शुल्क भुगतान किया हो ।

नोट–

(i) भविष्य में प्रादेशिक संस्था की कोई भी व्यक्तिगत सदस्यता नहीं होगी चाहे वह जनपद से चयनित, नामित, मनोनित अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हो।

(ii) एप्रुवल की तिथि एवं नये रूल के अस्तित्व में आने के पश्चात इस प्रकार का कोई आजीवन सदस्य नही बनाया जायेगा ।

(iii) प्रादेशिक परिषद को ऐसी पूर्व सदस्यता को समाप्त करने के अधिकार होंगे ।

(iv) यदि किसी पद पर होने के कारण किसी को किसी प्रकार की सदस्यता प्राप्त होती है तो वह पद समाप्त होने की स्थिति में वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, अर्थात पदेन सदस्यता मूल पद के सापेक्ष होगी।

(V) यदि जिला संस्था भंग होती है, तो प्रादेशिक संस्था की परिषद व कार्यकारिणी एवं प्रादेशिक इलेक्ट्रोल कालेज में उस जिला का प्रतिनिधत्व करने वाले सदस्य की सदस्यता भी भंग मानी जायेगी ।

(vi) 9 द श्रेणी के सदस्यता वाले सदस्य प्रादेशिक संस्था में किसी भी स्तर के चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होगें।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

(इ) सदस्यता समाप्त होने की स्थिति :–

(i) यदि कोई सदस्य न्यायालय द्वारा दण्डित होता है, दीवालिया या उसकी मृत्यु हो जाती है या पागल घोषित होता है, उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी और अन्य कोई पुरस्कार या लाभ/दायित्व दिया गया हो वह भी वापस/समाप्त हो जायेगा।

(ii) यदि कोई सदस्य स्काउट आन्दोलन/संस्था के प्रति दुराग्रह या हानियां पहुँचाने के उद्देश्य से अन्य किसी समान्तर संस्था को सहयोग करने भ्रष्टाचार/नैतिक अधोपतन में संलिप्त पाया जाता है या लिखित/प्रकाशन/प्रिन्ट मीडिया/इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लिखित व अन्य रूप से विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है या आन्दोलन/संगठन का दुष्प्रचार/छवि धुमिल करता/करती है या संस्था के हितों को आघात करता पाया जायेगा तो संस्था जॉच स्थापित कर और सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों का अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए तदानुसार निर्णय लेते हुए सम्बन्धित सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है।

(iii) यदि प्रादेशिक संस्था का कोई सदस्य अन्य किसी ऐसी समानान्तर संस्था जो कि स्काउट एवं गाइड के नाम से कार्य कर रही हो या उक्त प्रकार की संस्था की गतिविधियों को सहायता एवं प्रोत्साहित कर रहा हो तो एसे सदस्य कि सदस्यता प्रादेशिक संस्था से समाप्त हो जायेगी।

10– (i) **मुख्य संरक्षक**– मुख्य संरक्षक प्रदेश संस्था के मुखिया होंगे प्रादेशिक संस्था, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के संरक्षक प्रदेश के माननीय राज्यपाल (उत्तराखण्ड) महोदय होंगे ।

(ii) **संरक्षक**–प्रादेशिक संस्था, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के समकालीन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड, संरक्षक होंगे ।

(iii) **संरक्षक मंडल**–कार्यकारिणी द्वारा राज्य के मंत्रीपरिषद से निम्न में से या अन्य देशकाल व परिस्थिति के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।

(1) गृह मंत्री (2) वित्त मंत्री।
(3) शिक्षा मंत्री(उच्च,मा0, प्रा0, अनौपचारिक)। (4) क्रीडा मंत्री।
(5) कौशल विकास मंत्री (6) महिला एवं बालविकास मंत्री (7) अन्य ।

(iv) **उपसंरक्षक** एक या अधिक उपसंरक्षक कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित किये जा सकते है।

(1) उपसंरक्षक के रूप में ऐसे आदर्श व सम्मानित लोग भी कार्यकारिणी द्वारा सम्मिलित किये जा सकेंगे जिन्होंने इस हेतु कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित शुल्क संस्था को अदा किया हो।

(यह शुल्क 50000 रूपये होगा या 5 वर्ष अथवा परिषद के कार्यकाल कि अवधि जो भी पहले समाप्त हो के लिये ही मान्य होगा।)

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

(2) प्रादेशिक अध्यक्ष प्रादेशिक परिषद की संस्तुति पर अन्य राष्ट्रीय / प्रदेश स्तर के आदर्श नायकों को भी उपसंरक्षक पद के लिये नामित कर सकते हैं।

11— प्रादेशिक परिषद (रुल 58 स्टेट काउंसिल के अनरूप) निम्न सदस्यो से परिषद निर्मित होगी —

1 अध्यक्ष ।
2. उपाध्यक्ष (अधिकतम 12)।
3 प्रादेशिक मुख्यायुक्त।
4 तत्काल पूर्व प्रादेशिक मुख्यायुक्त ।
5 प्रादेशिक आयुक्त (कब)।
6 प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)।
7 प्रादेशिक आयुक्त (रोवर)।
8 प्रादेशिक आयुक्त (बुलबुल)।
9 प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)।
10 प्रादेशिक आयुक्त (रैंजर)।
11 प्रादेशिक आयुक्त स्काउट (वयस्क संसाधन)।
12 प्रादेशिक आयुक्त गाइड (वयस्क संसाधन)।
13 प्रादेशिक आयुक्त मुख्यालय स्काउट (अधिकतम 4)।
14 प्रादेशिक आयुक्त मुख्यालय गाइड(अधिकतम 4)।
15 प्रादेशिक कोषाध्यक्ष ।
16 प्रादेशिक सचिव ।
17 प्रादेशिक संयुक्त सचिव ।
18 सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)।
19 सहायक प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)।
20 प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट)।
21 प्रादेशिक संगठन आयुक्त (गाइड)।
22 प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)।
23 प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)।
24 जिला मुख्यायुक्त।
25 समस्त जिला आयुक्त (स्काउट)।
26 समस्त जिला आयुक्त (गाइड)।
27 प्रादेशिक संस्था से सम्बद्ध स्थानीय संस्था के सहा0जिला आयुक्त।
28 एल0टी0 स्काउट (वैध ऑनरेवल चार्ज धारी)।
29 एल0टी0 गाइड (वैध ऑनरेवल चार्ज धारी)।
30 जिला सचिव।
31 जिला संयुक्त सचिव ।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

32 प्रादेशिक संस्था से सम्बद्ध स्थानीय संस्था के जिला सचिव।

33 दो युवानायक जिनकी आयु 29 वर्ष से कम हो जो कि प्रादेशिक यूथ कमेटी के सदस्य हो जिन्हे प्रादेशिक मुख्यायुक्त के प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा नामित हो जिसमें से एक सदस्य महिला हो ।

34 एक अथवा अधिकतम 20 सदस्य प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श पर तथा प्रादेशिक मुख्यायुक्त की संस्तुति से प्रादेशिक अध्यक्ष नामित कर सकते है (कुल संख्या के आधे पद महिलाओं हेतु संरक्षित होंगे।)

(प्रादेशिक परिषद से नामित किये जाने वाले सदस्यों की अर्हता निम्न प्रकार से होगी –

1 ऐसे स्वयं सेवक जो संस्था के साथ कम से कम 20 वर्षो से सकिय हो ।

2 प्रदेश के अंर्तगत रहेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होने सिल्वर एलीफेंट पुरस्कार प्राप्त किया हो ।

3 ऐसे अभिदानी जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षो में एक लाख या अधिक अनुदान संस्था को दिया हो तथा संस्था के नीति–नियम व उद्‌देश्यों को अंगीकृत करते हों ।

4 ऐसे प्रोफेशनल जिन्हे शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, वित्त, कानून प्रबन्धन तथा सूचना तथा सूचना उद्योगिकी में किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो तथा संस्था के नीति–नियम को अंगीकृत करता हो ।)

34 ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो कि उस प्रदेश के राजस्व क्षेत्र मे आते हों वे विशेष आमंत्री हो सकते हैं।

35 सम्बन्धित रीजन के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ।

नोट– 1 उपरोक्त सभी प्रकार के सदस्यों के लिए संस्था के नीति , नियम एवं उद्‌देश्य का पालन करना आवश्यक होगा तथा सभी प्रकार के सदस्यों पर संस्था का कोड आफ कन्डक्ट लागू होगा ।

2 कोई भी सदस्य मात्र प्रादेशिक परिषद की उपरोक्त सदस्य संख्या 11– 4, 33, 34 एवं 35 की सदस्यता के आधार पर सदस्य प्रादेशिक संस्था में किसी भी स्तर के चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होगें।

3 उपरोक्त सदस्य संख्या 11– 4, 33, एंव 34 प्रादेशिक परिषद में अपने विचार अनुभव पूर्व निर्धारित ऐजेंडे के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से साझा कर सकतें हैं । ऐसे सदस्य किसी प्रस्ताव पर चर्चा, प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकते।

12– **प्रादेशिक परिषद् का कार्यकाल**–जिस बैठक में प्रादेशिक परिषद् का गठन हुआ है उस बैठक की तिथि से प्रादेशिक परिषद् की अवधि 5 वर्ष होगी।

(i) विशेष परिस्थितियों में प्रादेशिक कार्यकारिणी की लिखित संस्तुति पर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त प्रादेशिक परिषद् का कार्यकाल अधिकतम 6 माह हेतु विस्तारित कर सकते हैं। उपरोक्त प्रस्ताव (लिखित संस्तुति) प्रादेशिक कार्यकारिणी की विशेष बैठक (जिसमें 50%सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है) में ही सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकेगा।

(ii) यदि प्रादेशिक परिषद् अपने कार्यकाल या विस्तारित कार्यकाल में बैठक आयोजित करने मे अक्षम रहती है परिषद भंग मानी जायेगी ऐसे में मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त एक प्रशासक नियुक्त करेंगे शेष प्रशासक प्रदेश की समस्त कार्यवाही व गतिविधियां अधिग्रहण करते हुए स्वयं संचालित करेगा,सभी पदाधिकारियो के वारंट प्रशासक की नियुक्ति की तिथि से निष्प्रयोजित / निष्प्रभावी हो जायेंगे। प्रशासक प्रादेशिक सचिव या अन्य उपयुक्त

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

व्यक्ति/व्यक्तियों के माध्यम से 90 दिन में काउन्सिल का पुर्नगठन करायेंगे ।

13— प्रादेशिक परिषद् के अधिकार व कार्य/प्रकार्यः—

1— प्रादेशिक परिषद प्रादेशिक संस्था की सर्वोच्च समिति होगी रूल ए0पी0आर0ओ0 और बॉयलॉज एवं उपनियमावली उपलब्ध स्वीकृत अन्य उपनियमों के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रादेशिक परिषद के लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे ।

2—i नियमावली तथा उपनियमावली के अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, प्रादेशिक मुख्य आयुक्त, प्रादेशिक कार्यकारिणी सदस्यों, वित्त समिति के सदस्यों के पद पर मध्यावधि में रिक्तता की स्थिति में प्रादेशिक संस्था के रूल एवं बॉयलॉज (नीति एवं नियम) के अनुसार रिक्त पद के प्रति अवशेष कार्यकाल हेतु अर्ह सदस्य को नामित कर सकेगी अथवा चुनाव संस्थान को विषय चुनाव हेतु अग्रसारित करेगी।

ii प्रादेशिक संस्था के बज़ट का आंकलन व अनुमोदित/स्वीकृत करना।

iii प्रादेशिक संस्था की वार्षिक आख्या, वार्षिक ऑडिट वक्तव्य व बैलेंस शीट आंकलन तथा स्वीकृत/अनुमोदित करना।

iv प्रादेशिक संस्था के उपनियम बनाना, उनमें निष्कासन, परिवर्धन , परिवर्तन, संशोधन, संयोजन एवं विकल्प तैयार कर, राष्ट्रीय आयुक्त को अनुमोदन हेतु अग्रसारित करना।

v राष्ट्रीय व प्रादेशिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के दृष्टि कोण को प्राथमिकता देते हुए संस्था की गतिविधियों को नियंत्रित व प्रोत्साहन देने हेतु, प्रशिक्षण आदि सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना।

vi चल अचल सम्पत्ति का ग्रहण करना, संचालन करना, अधिग्रहण करना एवं निस्तारण आदि करना।

vii आन्दोलन के विकास हेतु धरोहर के साथ/बिना चल—अचल सम्पत्ति पर अस्थायी तौर पर किराये पर ब्याज या उधार लेना अथवा देना।

viii ऑडिटर नियुक्त करना व उसका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

ix संगठन के नीति, नियम,उद्देश्य व सिद्धान्तों के प्रचार—प्रसार हेतु वह सब कार्य सम्पादित करना जो भी आवश्यक हो।

14—प्रादेशिक परिषद की बैठकें :—

1— साधारण बैठक—

i प्रादेशिक परिषद की साधारण बैठक वर्ष में एक बार तथा 31 अगस्त से पूर्व सम्पन्न होगी यदि किसी वैध कारणों से बैठक 31 अगस्त तक सम्भव

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

नहीं हो, तो प्रादेशिक सचिव द्वारा मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को अनुबन्ध तिथि में बैठक सम्पन्न न होने के कारणों सहित आख्या भेजनी होगी।

ii साधारण सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को, बैठक की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व समय, स्थान व तिथि के साथ निर्गत कर दी जायेगी, एवं बैठक का एजेंडा कम से कम 20 दिन पूर्व सदस्यों को निर्गत कर दिया जायेगा।

iii प्रादेशिक परिषद के विचारार्थ विषयों की सूची तथा प्रस्तावों का नोटिस जो नियमानुसार प्रस्तावित व अनुमोदित हो प्रादेशिक सचिव के पास बैठक की तिथि से 20 दिन पूर्व पहुँच जाने चाहियें, इस प्रकार से प्राप्त विषय व प्रस्ताव मे से बैठक में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव प्रादेशिक परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास बैठक की तिथि से 10 दिन पूर्व भेज देने होंगे।

iv बैठक का कोरम कुल प्रादेशिक परिषद के सदस्यों की संख्या के 1/10 अथवा 20 सदस्यों जो भी कम हो द्वारा पूर्ण माना जायेगा।

v प्रादेशिक परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत सभी प्रश्न साधारणतया बहुमत से निर्णित होगें। पक्ष व विपक्ष में मतों की संख्या समान होने की स्थिति में सभापति भी अपने निजी मत का उपयोग करते हुये मतदान कर सकते है।

vi प्रादेशिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता, प्रादेशिक अध्यक्ष करेगें। प्रादेशिक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित उपाध्यक्षों में आयु से वरिष्ठतम् उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें। प्रादेशिक अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में प्रादेशिक परिषद में उपस्थित सदस्य ,उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक को परिषद की अध्यक्षता करने हेतु चयनित करेंगे।

vii प्रादेशिक परिषद की बैठक की तिथि प्रादेशिक अध्यक्ष निर्धारित कर सकेंगे। बैठक की प्रस्तावित तिथि से 40 दिन पूर्व प्रस्तावित तिथि प्रादेशिक परिषद के कन्वीनर को अध्यक्ष, कार्यकारिणी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कि वह पूर्ण तैयारी के साथ 30 दिन पूर्व नियमानुसार बैठक के नोटिस निर्गत कर सके।

viii गत् वर्ष के 31 अगस्त के पश्चात यदि प्रादेशिक परिषद की बैठक न हो पाई हो और वर्तमान सत्र में 20 जुलाई तक अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी से प्रादेशिक परिषद की बैठक की तिथि प्राप्त न हो पा रही हो तो परिषद के समन्वयक का उत्तरदायित्व होगा कि वह उपलब्ध वरिष्ठतम् उपाध्यक्ष से तिथि लेते हुए परिषद की बैठक व नोटिस बैठक से 30 दिन पूर्व निर्गत कर सकेंगे ।

अपरिहार्य कारणों से आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों में उपरोक्त स्थिति में यदि कोई उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नही हो पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 28 जुलाई के बाद परिषद के समन्वयक सीधे बैठक का नोटिस जारी करेंगे ।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

2— साधारण वार्षिक बैठक की कार्यवाही / कार्रवाई—

i गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।

ii एजेंडा के विषय (Business arising)

iii वार्षिक आडिट , आय—व्यय एवं बैंलेंस शीट पर विचार करना व उसे पारित करना।

iv वार्षिक बैलेंस शीट तथा लेखा आख्या पर विचार करना तथा स्वीकृत करना।

v बजट पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत करना।

vi उन प्रस्तावों व अन्य विषयों पर विचार करना जिनका पहले से नोटिस दिया गया हो।

vii अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे मामलों पर विचार करना जो ऐजेंडे में सम्मिलित नहीं हैं।

viii ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये हों तथा एजेंडे में सम्मिलित किये गये हों।

ix मध्यावधि में रिक्तता की स्थिति में प्रादेशिक संस्था के रूल एवं बॉयलॉज (नीति एवं नियम) के अनुसार रिक्त पद के प्रति अवशेष कार्यकाल हेतु अर्ह सदस्य को नामित करना अथवा चुनाव संस्थान को विषय चुनाव हेतु अग्रसारित करना।

3— परिषद की स्थगित बैठक व पुनः निर्धारित सभाः—

यदि बैठक आरम्भ होने के निर्धारित समय के आधे घन्टे के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित समझी जायेगी व उसी स्थान पर पुनः निर्धारित होनी तय समझी जायेगी। इस प्रकार की बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु इस बैठक में केवल पूर्व निर्धारित ऐजेंडे पर विचार हो सकेगा। अन्य किसी विषय पर विचार नहीं हो सकता।

4— विशेष बैठकः—

i विशेष कार्य या ऐजेंडा पर विचार करने हेतु प्रादेशिक मुख्यायुक्त या प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श पर प्रादशिक अध्यक्ष के माध्यम से परिषद की विशेष बैठक आयोजित करवा सकती है।

ii प्रादेशिक परिषद की बैठक, प्रादेशिक परिषद के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी विशेष कार्य (जिसका उल्लेख मांग में किया गया हो) के लिए बुलाई जा सकती है।

iii प्रादेशिक परिषद की विशेष बैठक हेतु कम से कम 20 दिन पूर्व तिथि, समय, स्थान व कार्यबिन्दु (एजेण्डे) के साथ सूचना सदस्यों को प्रेषित की जानी चाहिए।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

iv विशेष बैठक का कोरम 1/5 सदस्यों या 40 सदस्यों जो भी कम हो पूर्ण माना जायेगा। उपनियमावली की धारा 14 (3) ऐसी बैठक के लिए लागू नहीं होगी।

15— **प्रादेशिक संस्था के पदाधिकारी—**

(1) अध्यक्ष
(2) उपाध्यक्ष (अधिकतम 12)
(3) प्रादेशिक मुख्यायुक्त
(4) प्रादेशिक आयुक्त (कब)
(5) प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)
(6) प्रादेशिक आयुक्त (रोवर)
(7) प्रादेशिक आयुक्त (बुलबुल)
(8) प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
(9) प्रादेशिक आयुक्त (रैंजर)
(10) प्रादेशिक आयुक्त स्काउट (वयस्क संसाधन)
(11) प्रादेशिक आयुक्त गाइड (वयस्क संसाधन)
(12) प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
(13) प्रादेशिक सचिव
(14) प्रादेशिक संयुक्त सचिव एवं सहायक सचिव
(15) सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्का0)
(16) सहायक प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
(17) प्रादेशिक आयुक्त मुख्यालय आयुक्त स्काउट (अधिकतम 4)
(18) प्रादेशिक आयुक्त मुख्यालय आयुक्त गाइड (अधिकतम 4)
(19) प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का0)
(20) प्रादेशिक संगठन आयुक्त गाइड
(21) प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्का0)
(22) प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड
(23) सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्का0 व गा0
(24) संयुक्त/ सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्का0/गा0
(25) एल0टी0 स्काउट (वैध ऑनरेवल चार्ज धारी)
(26) एल0टी0 गाइड (वैध ऑनरेवल चार्ज धारी)
(27) ए0एल0टी0 स्काउट एवं गाइड।

16— **अध्यक्ष :—**

(1) प्रादेशिक अध्यक्ष पद के लिये प्रदेश सरकार से प्रादेशिक संस्था को नियमित वार्षिक अनुदान देने वाले विभाग के प्रदेश मंत्री महोदय को आमंत्रित किया जायेगा। इस प्रकार से यह पद पदेन होगा।

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

(2) अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा प्रादेशिक परिषद की समयावधि के अनुक्रमानुपाती होगा। नवीन अध्यक्ष के चुनाव/चयनित होने तक अध्यक्ष अपने कार्यो व दायित्वों का निर्वहन निरन्तर कर सकेंगे।

(3) अध्यक्ष, प्रादेशिक परिषद की बैठक के सभापति होंगे तथा बैठक की व्यवस्था देंगे।

(4) अध्यक्ष पद की रिक्त होने की स्थिति में आयु से वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का कार्य देखेंगे जबकि नवीन अध्यक्ष का चुनाव प्रादेशिक परिषद के अवशेष समय हेतु नहीं हो जाता।

(5) प्रदेश में संस्था के अन्तर्गत प्रदेश नियमावली/नियमावलियों के उल्लंघन अथवा इस प्रकार के संकट उत्पन्न होने पर विषय को उत्तरदायी विभाग के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष के सम्मुख रखा जा सकता है जिसे वे उचित समझने पर राष्ट्रीय मुख्यायुक्त को अग्रसारित कर सकते हैं।

(6) प्रादेशिक अध्यक्ष के किसी निर्णय पर विवाद होने अथवा संशय होने पर विषय विधायी अथवा प्रशासनिक विभाग द्वारा राष्ट्रीय मुख्यायुक्त को अग्रसारित किया जायेगा एवं राष्ट्रीय मुख्यायुक्त का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

(7) प्रदेश संस्था में समस्त विधायी नियुक्तियों की सूचना प्रादेशिक अध्यक्ष को भी दी जानी होगी।

(8) प्रादेशिक आयुक्त स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर/कब/बुलबुल/ वयस्क संसाधन स्काउट/ वयस्क संसाधन गाइड की नियुक्ति कर प्रादेशिक मुख्यायुक्त, प्रदेश अध्यक्ष को भी सूचित करेंगे।

17— उपाध्यक्ष—

(i) **अधिकतम 12 उपाध्यक्ष होंगे। जिनमें से 06 महिला उपाध्यक्ष होंगी।**

(ii) **उपाध्यक्ष पद पर चयन निर्वाचन प्रक्रिया से होगा ।**

(iii) **महिला पदों के प्रति यदि पूर्ण संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते तो पुरूष प्रत्याशियों के आवेदन सम्मलित किये जा सकते है, इसी प्रकार पुरूष पदों पर भी समान प्रकिया अपनायी जायेगी।**

(iv) **निर्वाचन प्रक्रिया नियमावली में दी गयी है ।**

(v) **उपाध्यक्ष का कार्यकाल प्रादेशिक परिषद की समयावधि के अनुक्रमानुपाती होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित आयु से वरिष्ठ उपाध्यक्ष परिषद की विशेष व सामान्य सभा की अध्यक्षता करेंगे अथवा सभापति होंगे।**

18—प्रादेशिक मुख्य आयुक्त :—

1— प्रादेशिक मुख्य आयुक्त पद पर पदेन होगा । इस पद पर निर्वाचन नही होगा ।

2— प्रादेशिक मुख्य आयुक्त पद की रिक्तता की स्थिति में तत्काल व्यवस्था हेतु प्रादेशिक कमिश्नर जो आयु से वरिष्ठ होगें, प्रादेशिक मुख्य आयुक्त का पद देखेंगे ।

3— प्रादेशिक मुख्य आयुक्त प्रादेशिक कार्यकारिणी की अध्यक्षता करेंगे तथा प्रादेशिक संस्था के सर्वोच्च कार्यकर्ता होंगे।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

4– प्रादेशिक मुख्यायुक्त के लिये प्रदेश सरकार से प्रादेशिक संस्था के मुख्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु नियमित वार्षिक अनुदान देने वाले विभाग के निम्न पदाधिकारियो में से परिषद द्वारा निम्न में से आमंत्रित किया जायेगा।

:: अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/महानिदेशक/ निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा ::। इस प्रकार से यह पद, पदेन होगा।

(3) **प्रादेशिक मुख्य आयुक्त के कार्य–**

i प्रादेशिक कार्यकारिणी, व ऐसी कमेटियों की बैठक, जिन कमेटियों का वह अध्यक्ष/सभापति है, अध्यक्षता करना।

ii समस्त प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करना।

iii प्रत्येक प्रभाग हेतु अधिकतम् 4 प्रादेशिक आयुक्त मुख्यालय नियुक्ति हेतु कार्यकारिणी से परामर्श कर , नियुक्ति करेंगे।

iv विशेष प्रयोजन हेतु आयोग/समिति का गठन करना तथा उनके अध्यक्ष व सदस्यों को मनोनीत करना।

v प्रत्येक प्रभाग हेतु सहायक प्रादेशिक आयुक्त नियुक्ति हेतु कार्यकारिणी से परामर्श कर , नियुक्ति करेंगे।

vi प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड, सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड, जिला मुख्यायुक्त, जिला आयुक्त स्काउट/गाइड की नियुक्ति, सम्बन्धित प्रभाग के प्रादेशिक आयुक्त की संस्तुति से करना व वारंट जारी करना।

vii जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड, जिला संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड, सहायक जिला आयुक्त स्काउट/गाइड की नियुक्ति, सम्बन्धित पदाधिकारियों से परामर्श कर व नियमों का पालन करते हुए वारंट जारी करना।

viii प्रादेशिक सेवा नियमावली लागू न होने की स्थिति में प्रादेशिक सचिव, संयुक्त सचिव व सहायक सचिव की नियुक्ति के सम्बन्ध में, आवश्यकतानुसार प्रादेशिक कार्यकारिणी से परामर्श कर नियुक्ति करना।

ix प्रादेशिक सेवा नियमावली लागू न होने की स्थिति में प्रादेशिक संगठन/ प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड, संयुक्त या सहायक प्रादेशिक संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड व अन्य पदाधिकारियों की यदि आवश्यकता हो, नियुक्ति सम्बन्धी विभाग के प्रादेशिक कमिश्नर व प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श से किया जायेगा।

विशेष–प्रादेशिक मुख्यालय की सेवानियमावली के अन्तर्गत होने वाली नियुक्तियों हेतु सेवा नियमावली की शर्तो के अनुरूप नियुक्त/लागू किया जायेगा।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate.

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

x राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रादेशिक संस्था के कियाकलापों को क्रियान्वयन एवं आयोजन सुनिश्चित करना।

xi संस्था के उद्देश्य, प्रयोजन,नियमों व उपनियमों के प्रति निष्ठा हेतु संरक्षित एवं लागू करना।

xii प्रादेशिक संस्था की चल अचल सम्पत्ति और वित्त का प्रबन्धन करना/करवाना।

xiii आवश्यकता के अनुरूप पारित बजट के अतिरिक्त राशि एवं मद व्यय स्वीकृत करना (विशेष परिस्थितियों में पूर्व में कार्यकारिणी अथवा परिषद में पारित बजट में दर्शाये गये मद के अतिरिक्त एवं दर्शाये गये व्यय से अधिक जो कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित हो) को स्वीकृत करना तथा अनुमति (Ex-post-fecto) हेतु आगामी प्रादेशिक कार्यकारिणी एवं परिषद में प्रस्तुत करेंगे।

xiv संज्ञान में आये हुए प्रकार्य में जॉच व निर्णय देना तथा कार्यकारिणी को आख्या प्रस्तुत करना।

xv स्काउट गाइड साहित्य प्रकाशित करना / करवाना।

xvi नियमानुसार तथा प्रादेशिक कार्यकारिणी से विचार–विमर्श कर अलंकरणों की संस्तुति प्रदान करना।

xvii किसी एक या अधिक प्रादेशिक आयुक्तों को किसी कार्य के लिए नियुक्त करना।

xviii प्रादेशिक आयुक्त स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर/कब/बुलबुल/वयस्क संसाधन स्काउट विभाग / वयस्क संसाधन गाइड को छोडते हुए समस्त प्रादेशिक व जनपदों के आयुक्तों को वारंट प्रदान करना तथा वारन्टों को आवश्यकतानुसार निरस्त करना।

xix प्रादेशिक आयुक्त स्काउट/गाइड या अन्य किसी आयुक्त पद की रिक्तता की अवस्था में उनके कार्यों को सम्पादित करवाना अथवा स्वयं सम्पादित करना।

xx जनपदीय संस्था, स्थानीय संस्था, स्काउट, गाइड ग्रुपों को वारन्ट प्रदान करना व उनके पंजीकरण की संस्तुति करना, स्काउटर व गाइडर को वारन्ट प्रदान करना और नवीनीकरण करना तथा आवश्यकतानुसार निर्गत किये गये वारन्टों को निरस्त करना।

xxi प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा 01 स्काउट 01 गाइड युवानायक (आयु अधिकतम 29 वर्ष) का मनोनयन प्रादेशिक परिषद हेतु करना।

xxii प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा अध्यक्ष से परामर्श पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त विशेष आमन्त्रित को प्रादेशिक परिषद हेतु निमंत्रण देना।
(ऐसे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो कि उस प्रदेश के राजस्व क्षेत्र मे आते हों वे विशेष आमंत्री हो सकते हैं।) प्रादेशिक मुख्यायुक्त एक अथवा अधिकतम 20 सदस्य प्रादेशिक कार्यकारिणी के परमर्श पर तथा संस्तुति प्रदान करते हुये प्रादेशिक परिषद हेतु नामित किये जाने हेतु प्रादेशिक अध्यक्षको

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

अग्रसारित कर सकते हैं। (कुल संख्या के आधे पद महिलाओं हेतु संरक्षित होंगे।)

xxiii सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त से विचार–विमर्श कर योग्य व्यक्तियों के साथ ए0एल0टी0 व एल0टी0 की नियुक्ति हेतु संस्तुति कर मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को भेजना।

xxiv यदि स्थानीय संभागीय अथवा जनपदीय संस्थाओं में गम्भीर विवाद उत्पन्न हो जाये या नीति, नियम उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा हो या कुशासन स्थान ले रहा हो, संस्था के नियमित क्रिया–कलापों में व्यवधान उत्पन्न हो गया हो, ऐसी स्थिति में प्रादेशिक मुख्य आयुक्त मामले की जॉच के लिए एक समिति नियुक्त कर सकता है तथा आवश्यक समझता है तो समय सीमा आदि का उल्लेख करेगा और इस प्रकार की समिति से रिपार्ट प्राप्त करेगा और सम्बन्धित जिले आदि के आयुक्त के प्रतिनिधित्व को सुनकर विचार–विमर्श करेगा। तत्पश्चात यदि वह फिर भी यही समझता है कि जनपद या स्थानीय संस्था में विवाद उल्लंघन या कुशासन या व्यवधान जैसी स्थिति वास्तव में है तो वह आवश्यक रूप से जो वारन्ट निरस्त करने हैं उन्हें निरस्त कर पुनः उस संस्था का निर्माण करेंगे तथा उचित व्यक्तियों को अधिकार पत्र प्रदान करेगा तथा अगली कार्यकारिणी व परिषद की बैठक में कार्यवाही हेतु आख्या प्रस्तुत करेगा।

xxv वह सभी कार्य व प्रकार्य करेगा जो कार्यालय संचालन के सम्पूर्ण निर्वहन हेतु आवश्यक है।

19— प्रादेशिक आयुक्त स्काउट / प्रादेशिक आयुक्त गाइड रोवर / रेंजर / कब / बुलबुल / वयस्क संसाधन स्काउट विभाग / वयस्क संसाधन गाइड :–

अ प्रादेशिक संस्था के सदस्यों में से प्रादेशिक मुख्यायुक्त, प्रादेशिक आयुक्त स्काउट / गाइड रोवर / रेंजर / कब / बुलबुल / वयस्क **संसाधन गाइड** विभाग / वयस्क संसाधन स्काउट विभागा हेतु कुल 4–4 की नियुक्ति करेंगे।

ब प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक आयुक्त स्काउट / गाइड हेतु निदेशक एवं सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रादेशिक आयुक्त रोवर / रेंजर हेतु निदेशक एंव सहायक निदेशक उच्च शिक्षा प्रादेशिक आयुक्त कब / बुलबुल निदेशक एवं सहायक निदेशक प्राथमिक शिक्षा को वरीयता प्रदान करेंगे।

स वयस्क संसाधन गाइड विभाग / वयस्क संसाधन स्काउट की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की होगी जो कम से कम किसी भी प्रभाग मे ए0एल0टी0 हों एवं संस्था के साथ जनपद में कम से कम 5 वर्ष कार्य किया हो।

द कार्यकालः–सभी प्रादेशिक आयुक्त स्काउट एवं गाइड का कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष होगा एवं ये मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र में उल्लेख किये गये समय के अनुरूप नियमानुसार कार्यदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

इ प्रादेशिक आयुक्त स्काउट/गाइड रोवर/रेंजर/कब/बुलबुल/ वयस्क संसाधन गाइड विभाग / वयस्क संसाधन स्काउट के कार्य अपने–अपने विभाग सम्बन्धी इस प्रकार होंगे–

i प्रादेशिक मुख्यायुक्त को अपने विभाग सम्बन्धी क्रिया कलापों में सहायता प्रदान करना।

ii अपने विभाग सम्बन्धी सहायक प्रादेशिक आयुक्त, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त, ए0एल0टी0, एल0टी0 की नियुक्ति हेतु संस्तुति करना।

iii प्रादेशिक मुख्यायुक्त स्काउट तथा गाइड से संदर्भित प्रकरण सम्बन्धित आयुक्तों के माध्यम से कियान्वित करेंगे।

iv प्रादेशिक आयुक्त स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर/कब/बुलबुल/ वयस्क संसाधन गाइड विभाग/ वयस्क संसाधन स्काउट विभाग/ मुख्यालय सम्बन्धित सब कमेटी मे नियमावली के प्रवाधानों के अनुसार सदस्य के रूप में प्रतिभाग करेंगे अथवा अध्यक्षता करेंगे।

v स्काउट अथवा गाइड किसी भी विभाग से अनुभव से वरिष्ठतम प्रादेशिक आयुक्त प्रोगाम कमेटी का चेयर–परसन होगा एवं अनुभव के आधार पर द्वितीय वरिष्ठतम प्रादेशिक आयुक्त को–चेयरपरस्न होगा। अन्य सभी इस समिति के सदस्य होंगे।

vi प्रादेशिक आयुक्त स्काउट (वयस्क संसाधन) प्रादेशिक आयुक्त गाइड (वयस्क संसाधन) अपने विभाग (स्का0/गा0) से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं उसके विकास, योजना, कियान्वयन तथा उसके मुल्यांकन हेतु उत्तरदायीं होंगे । दोनो प्रादेशिक आयुक्त में से अनुभव के आधार वरिष्ठतम् प्रादेशिक आयुक्त एडल्ट ट्रेनिंग कमेटी (वयस्क प्रशिक्षण समिति) और एडलट रिसोर्स मैंनेजमेंट कमेटी (व्यस्क संसाधन प्रबन्धन समिति चेयरपरसन् होंगे तथा अन्य दूसरे प्रादेशिक आयुक्त वयस्क संसाधन को–चेयरपरसन होंगे।

20– प्रादेशिक कोषाध्यक्ष :–

i प्रादेशिक कोषाध्यक्ष को प्रादेशिक कार्यकारिणी की संस्तुति पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त नियुक्त कर सकेंगे। इसी प्रकार प्रादेशिक कार्यकारिणी की संस्तुति पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक कोषाध्यक्ष को पदच्युत भी कर सकते हैं।

ii

(अ) प्रादेशिक कोषाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या प्रादेशिक कार्यकारिणी के कार्यकाल के अनुकमानुपाती होगा। प्रादेशिक कोषाध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी के चयनित होने तक अपने पद का कार्यदायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

(ब) प्रादेशिक कोषाध्यक्ष की रिक्तता की अवस्था में प्रादेशिक मुख्यायुक्त अन्य सदस्यों में से किसी एक को कोषाध्यक्ष के कार्य, सम्पादित कराने हेतु नियुक्त करेगा एवं

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

सचिव
भारत स्काउट्स गाइड्स उत्तराखण्ड

विषय को कार्योत्तर अनुमति (Ex-post-fecto) हेतु आगामी प्रादेशिक कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेंगे।

iii प्रादेशिक कोषाध्यक्ष का कार्य होगा, कि प्रादेशिक परिषद कार्यकारिणी व प्रादेशिक मुख्यायुक्त के प्रति निमित्त उत्तरदायी होना कि व्यय ठीक से किया जा रहा है और धन के व्यय का ब्यौरा उचित रूप से रखा जा रहा है । संस्था का धन कार्यकारिणी द्वारा निश्चित बैंक या बैंकों में जमा करना, स्वीकृत मदों तथा कार्यों पर धन देना, वार्षिक आडिट हेतु वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करना एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी व परिषद की स्वीकृति के लिए बजट निर्माण करना।

iv प्रादेशिक कोषाध्यक्ष अपने कार्य दायित्वों /पद के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्यदायित्वों /पद का निर्वहन नहीं करेंगे।

21— प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक संयुक्त सचिव, प्रादेशिक सहायक सचिवः—

(1)

i प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा सचिव एवं संयुक्त सचिव की नियुक्ति प्रादेशिक आयुक्त व प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श से अवैतनिक रूप से अथवा प्रादेशिक सेवानियमावली के अनुसार की जायेगी । दोनों में से एक पद महिला का होगा तथा यदि ये वैतनिक नियुक्त होते हैं तो प्रदेश की सेवा नियमावली की शर्तों व नियमों के अनुसार नियुक्ति की जायेगी। जब भी जहां भी यदि आवश्यक समझा गया तो एक अन्य संयुक्त सचिव की नियुक्ति की जा सकती है।

ii सहायक प्रादेशिक सचिव की नियुक्ति भी उपरोक्तानुसार {बिन्दु 21 के (1)i}केअनुसार होगी। किन्तु इसमें महिला या पुरुष की बाध्यता नहीं है।

iii नियुक्ति के एक वर्ष के अन्दर ही सभी प्रकार के सचिवों को सचिव हेतु निश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2)

i प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक सहायक सचिव, प्रादेशिक कार्यकारिणी के भी सचिव व संयुक्त सचिव होंगे ।

ii यदि सचिव या संयुक्त सचिव या सहायक सचिव अवैतनिक हैं तो वे अधिकतम पॉच वर्ष या प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के अनुक्रम में ही नियुक्त रहेगें। अवैतनिक सचिव, संयुक्त सचिव या सहायक सचिव अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक बने रहेंगे।

(3) प्रादेशिक सचिव, प्रादेशिक संस्था के कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और प्रादेशिक मुख्यायुक्त को केन्द्र व प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सहयोग व सहायता प्रदान करेगा।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
... 110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

(4) प्रादेशिक सचिव नियमावली की सेवा शर्तों के अनुसार वैतनिक सदस्यों/कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा या सेवा नियमावली से इतर आवश्यकता होने पर प्रादेशिक मुख्यायुक्त से संस्तुति प्राप्त करते हुये नियम शर्तो का आदेश/नियुक्ति पत्र में उल्लेख कर नियुक्ति देगा।

(5) प्रादेशिक सचिव दिन प्रतिदिन के प्रादेशिक मुख्यालय के प्रशासन और प्रादेशिक संस्था सम्बन्धी कार्यों का उत्तरदायी होगा।

(6) प्रादेशिक सचिव संस्था के समस्त पंजिकाएं, पत्र–पत्रावलियों, पुस्तकों व अन्य अभिलेखों के उचित रखरखाव का उत्तरदायी होगा।

(7) प्रादेशिक सचिव वार्षिक स्काउट गाइड जनसंख्या विवरण व वार्षिक आख्या का निर्माण करेगा।

(8) प्रादेशिक सचिव व संयुक्त सचिव सम्बन्धित विभागों के समान पत्र व्यवहार एवं वार्ता, सम्पर्क का उत्तरदायी होगा एवं अन्य उन कार्यों का जो प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा सौपें गये हों, का उत्तरदायी होगा।

(9) प्रादेशिक सचिव अथवा सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव समस्त प्रादेशिक परिषद व प्रादेशिक कार्यकारिणी व अन्य समितियों के एजेंडो का निर्माण करेगा व सम्बन्धित सभापति की संस्तुति प्राप्त कर सूचना निर्गत करेगा।

प्रादेशिक सचिव पद रिक्तता की स्थिति में मुख्य आयुक्त संयुक्त सचिव को तब तक सचिव का कार्य सम्पादित करने को कहेंगे जब तक की धारा 21-1(i) के अनुसार अवशेष अवधि के लिए सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(10) प्रादेशिक सचिव सम्बन्धित विषयों में सहायता एवं परामर्श प्रदान कर सकेंगा।

(11) प्रादेशिक संस्था के विभागीय पुस्तकों, साहित्यों, मुद्रित प्रचार सामाग्री एवं अन्य सभी प्रकार के प्रादेशिक संस्था के समस्त प्रकार के प्रपत्रों के प्रकाशन का सम्पादक व प्रकाशक प्रादेशिक सचिव होगा जब तक कि अन्य कोई और व्यवस्था /अवस्था न हो।

(12) प्रादेशिक सचिव के कार्यों में संयुक्त सचिव सहयोग करेंगे एवं विशेषकर अपने से सम्बन्धित प्रभाग के कार्य के लिये उत्तरदायी भी होंगे।

22 सहायक प्रादेशिक आयुक्त

(1) प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा स्काउट एवं गाइड प्रत्येक प्रभाग के लिये आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रभाग के प्रादेशिक आयुक्त से परामर्श कर विशेष प्रयोजन और क्षेत्र हेतु(अधिकतम 8–8)सहायक प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किये जा सकेंगे। जिनका कार्यकाल प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के सापेक्ष/अनुकमानुपाती होगा।

(2) सहायक प्रादेशिक आयुक्त का कार्य अपने से सम्बन्धित प्रभाग व निर्धारित क्षेत्र में सहायक होना/सहायता प्रदान करना।

23 प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट/ गाइड

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव

(अ) प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा सम्बन्धित प्रभाग के आयुक्त एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी से परामर्श कर स्काउट एवंगाइड प्रभाग के लिये अलग–2 प्रादेशिक संगठन आयुक्त को मानद/अवैतनिक नियुक्ति देगा। वैतनिक नियुक्ति की अवस्था में प्रादेशिक सेवा नियमावली के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। प्रादेशिक संगठन आयुक्त को नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मुख्यालय से निर्धारित स्काउट–गाइड का मैनेजमैंट प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

(ब) प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट/ गाइड के कार्य

(i) सम्बन्धित प्रभाग के प्रदेश स्तरीय आंदोलन को संगठित करने हेतु उत्तरदायित्व निर्वहन करना एवं अपने विभाग से सम्बन्धित सामाजिक सेवा के कार्य सम्पादित करवाना।

(ii) सम्बन्धित प्रभाग के प्रदेश स्तरीय सामाजिक सेवाओं का आयोजन करना।

(iii) प्रदेश स्तरीय रैली, कैम्पूरी, शिविर, कार्यशाला, सेमिनार, कॉन्फरेन्स आदि आयोजन आयोजित कराना एवं प्रशिक्षण कार्यकमों में सहायता करना व सहयोग देना और अनुमोदित स्काउट –गाइड साहित्य का अनुवाद एवं उत्पादन कराना।

(iv) राष्ट्रीय ध्येय को दृष्टिगत् रखते हुये प्रदेश की प्राथमिकताओं को प्रमुखता देते हुये सम्बन्धित प्रभाग के संयुक्त/सहायक संगठन आयुक्त व अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु योजना निर्मित करना, निर्देश देना एवं निरीक्षण करना।

(v) वयस्क लीडर प्रशिक्षण के सन्दर्भ में प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त से समन्वय बनाते हुये सहयोग करना व कार्य करना।

(vi) संगठन के विकास हेतु कार्ययोजना एवं गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनका कियान्वयन करना एवं सम्बन्धित प्रभाग के आयुक्त से निर्देश प्राप्त करते हुये प्रभागों के कार्यों का निरीक्षण करना और सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक आयुक्त व जिला आयुक्तों को उनके क्षेत्र व कार्यों में विकास, आयोजन एवं देखरेख हेतु समन्वय बनाते हुये उन्हें सहयोग करना।

24 संयुक्त/सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट/ गाइड

(i) प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा कार्यकारिणी व सम्बन्धित आयुक्त से परामर्श करते हुये संयुक्त/सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट/ गाइड की मानद नियुक्ति की जायेगी अथवा वैतनिक नियुक्ति की अवस्था में प्रादेशिक सेवा नियमावली के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा,

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

जिनका कार्य प्रादेशिक संगठन आयुक्त को सहयोग व सहायता प्रदान करना होगा।

(ii) संयुक्त/सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त को नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मुख्यालय से निर्धारित स्काउट गाइड का मैनेजमेंट प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

25 **प्रादेशिक आयुक्त (मुख्यालय)**– प्रादेशिक आयुक्त (मुख्यालय) स्काउट/ गाइड, प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा कार्यकारिणी व सम्बन्धित आयुक्त से परामर्श करते हुये प्रत्येक प्रभाग के लिये अधिकतम 4 की नियुक्ति की जायेगी।

26 **प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/ गाइड**

(अ) प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा सम्बन्धित प्रभाग के आयुक्त एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी से परामर्श कर स्काउट एवं गाइड प्रभाग के लिये अलग–2 प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त को मानद/अवैतनिक नियुक्ति देगा। वैतनिक नियुक्ति की अवस्था में प्रादेशिक सेवा नियमावली के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त एल0टी0 होगा। एल0टी0 उपलब्ध न होने की अवस्था में प्रादेशिक मुख्यायुक्त उपलब्ध उपयुक्त ए0एल0टी0 को नियुक्ति दे सकेगा जब तक कि वह वयस्क लीडर एल0टी0 पूर्ण न कर लें।

(ब) प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/ गाइड के कार्य

(i) स्कीम आफ ट्रैनिग के अनुरूप प्रदेश में सम्बन्धित प्रभाग के संगठन आयुक्त से समन्वय बनाते हुये वयस्क लीडर के प्रशिक्षण हेतु योजना निर्मित करना उनका कियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा मूल्यांकन करना व बेसिक कोर्स के सन्दर्भ में जितना सम्भव हो सके जिला प्रशिक्षण आयुक्त को नियमानुसार प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सम्पन्न कराना।

(ii) स्वयं प्रशिक्षण सम्बन्धी नवीन तकनीकी व विधाओं के ज्ञान से सुसज्जित रहना एवं प्रदेश की प्रशिक्षण टीम को स्वत:प्रशिक्षण आदि हेतु प्रोत्साहित करना व अवसर प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय ध्येय को अर्जित करने प्रदेश की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत् रखते हुये प्रदेश में एल0टी0 एवं ए0एल0टी0 को वयस्क लीडर के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करने हेतु मार्गदर्शन करना एवं निर्देशित करना।

(iv) प्रादेशिक प्रशिक्षण टीम में सम्मलित किये जाने हेतु सम्बन्धित संभाग के प्रादेशिक आयुक्त को अर्ह व्यक्तियों के नाम की संस्तुति कर अग्रसारित करना।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

(v) प्रादेशिक प्रशिक्षण टीम से परामर्श कर आवश्यकतानुसार उप निदेशक एल0टी0 को स्कीम आफ ट्रैनिंग में परिवर्तन/संवर्धन हेतु सुझाव प्रदान करना।

(vi) वयस्क लीडर हेतु प्रशिक्षण के सन्दर्भ में साहित्य निर्मित करना।

(vii) वर्ष मे कम से कम एक समय प्रादेशिक प्रशिक्षण टीम की बैठक आयोजित करना।

(viii) प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने हेतु योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना और योजना समिति के द्वारा अनुमोदित कार्यकम के अनुरूप उक्त शिविरों को अधिकृत करना व मान्यता प्रदान करना।

(ix) सम्बन्धित प्रादेशिक आयुक्त की संस्तुति पर ऐसे व्यक्तियों का नाम एच0डब्लयू0बी0 के पार्चमैंट और बीड्स/पिन हेतु उप निदेशक एल0टी0 को संस्तुति करना जिन्होंने सम्बन्धित औपचारिकतायें सम्पूर्ण कर ली हों।

(x) सहायक प्रशिक्षण आयुक्त एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त को उनके कार्य में मार्ग–दर्शन देना एवं निर्देशित करना ।

(xi) वर्ष में कम से कम एक बार जिला प्रशिक्षण आयुक्तों की बैठक आयोजित करना।

27 सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड

प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा कार्यकारिणी व सम्बन्धित प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त से परामर्श करते हुये सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट/ गाइड की मानद नियुक्ति की जायेगी अथवा वैतनिक नियुक्ति की अवस्था में प्रादेशिक सेवा नियमावली के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त एल0टी0 होगा। एल0टी0 उपलब्ध न होने की अवस्था में प्रादेशिक मुख्यायुक्त उपलब्ध वरिष्ठ ए0एल0टी0 को नियुक्ति दे सकेगा, जब तक कि वह एल0टी0 पूर्ण न कर ले।

28 प्रादेशिक वित्त समिति

(i) वित्त समिति में प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा फाईनेन्स, ऑडिट एवं टैक्स, वित्तीय विधियों में अनुभव रखने वाले 5 सदस्यों को प्रादेशिक कार्यकारिणी के परामर्श पर मनोनीत किये जायेंगे।

(ii) वित्त समिति के अध्यक्ष, प्रादेशिक कोषाध्यक्ष एवं समिति के सचिव प्रादेशिक सचिव होंगे।

(iii) वित्त समिति के कार्य धन उपार्जन/अर्जित करना एवं बजट निर्मित करना, वार्षिक आय–व्यय विवरण तैयार करना, बही–खातों की वार्षिक आख्या तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना एवं उन वित्तीय प्रकरणों पर विचार करना जिन्हें प्रादेशिक कार्यकारिणी ने प्रादेशिक मुख्यायुक्त के माध्यम से विचारार्थ वित्त समिति को सौंपा या अग्रसारित किया हो। बजट विशिष्ट रूप से

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

पृथक–पृथक प्रभागों के कार्यकम, आयोजन एवं गतिविधियों के लिये पृथक–पृथक निर्धारित किया जायेगा।

प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति (रूल 78 स्टेट एक्सीक्यूटिव कमेटी के अनुरूप)

29
अ

(i) प्रादेशिक मुख्यायुक्त
(ii) प्रादेशिक आयुक्त (कब)
(iii) प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)
(iv) प्रादेशिक आयुक्त (रोवर)
(v) प्रादेशिक आयुक्त (बुलबुल)
(vi) प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
(vii) प्रादेशिक आयुक्त (रैंजर)
(viii) प्रादेशिक आयुक्त स्काउट (वयस्क संसाधन)
(ix) प्रादेशिक आयुक्त गाइड (वयस्क संसाधन)
(x) प्रादेशिक आयुक्त स्काउट (मुख्यालय–अधिकतम 4)
(xi) प्रादेशिक आयुक्त गाइड (मुख्यालय–अधिकतम 4)
(xii) प्रादेशिक कोषाध्यक्ष
(xiii) प्रादेशिक सचिव
(xiv) प्रादेशिक संयुक्त सचिव
(xv) सहायक प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट)
(xvi) सहायक प्रादेशिक आयुक्त (गाइड)
(xvii) प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट)
(xviii) प्रादेशिक संगठन आयुक्त (गाइड)
(xix) प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
(xx) प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)
(xxi) सभी जनपदों के मुख्य आयुक्त
(xxii) समस्त एल0टी0 स्काउट / रोवर / कब द्वारा स्वय में से चयनित एक प्रतिनिधि।
(xxiii) समस्त एल0टी0 गाइड / रैंजर / बुलबुल / वयस्क द्वारा स्वय में से चयनित एक प्रतिनिधि।
(नोट :– 1– जनपद अथवा राज्य के प्रोफेसनल चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेंगे।
2– किसी भी तरह के विवाद अथवा आशंका में मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।)
(xxiv) स्टेट यूथ कमेटी के चेयरपरसन एवं को–चेयरपरसन
(xxv) सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक।

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

350

(xxvi) समस्त प्रादेशिक उपाध्यक्षों को विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में अमंत्रित किया जा सकता है ।

(xxvii) प्रादेशिक मुख्यायुक्त विशेष प्रयोजन हेतु विषय विशेषज्ञ को विशेष आमंत्री के रूप में एक या अधिक व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है।

नोट– 1 उपरोक्त सभी प्रकार के सदस्यों के लिए संस्था के नीति , नियम एवं उद्देश्य का पालन करना आवश्यक होगा तथा सभी प्रकार के सदस्यों पर संस्था का कोड आफ कन्डक्ट लागू होगा ।

2 उपरोक्त सदस्य संख्या [अ –(xxvii)] प्रादेशिक परिषद में अपने विचार अनुभव पूर्व निर्धारित ऐजेंडे के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से साझा कर सकतें हैं । ऐसे सदस्य किसी प्रस्ताव पर चर्चा, प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकते।

कार्यकारिणी का कार्यकाल

ब प्रादेशिक कार्यकारिणी का कार्यकाल प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के सापेक्ष/समानुपाती होगा। प्रादेशिक कार्यकारणी में पदेन सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जायेगी, यदि वह उस पद से विरत हो जाता है जिस पद के कारण वह प्रादेशिक परिषद का सदस्य था, इस प्रकार रिक्तता उत्पन्न होने पर भी नवीन व्यवस्थाओं तक कार्यकारिणी सामान्य रूप से कार्य करेगी।

स प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक कार्यकारिणी के सभापति होंगे एवं प्रादेशिक सचिव प्रादेशिक कार्यकारिणी के सचिव होंगे।

कार्यकारिणी के अधिकार एवं कार्य/प्रकार्य

30–

अ

1. समय समय पर क्षेत्र या क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार जनपद एवं स्थानीय संस्था का गठन , पुर्नगठन एवं पंजीकरण करना।
2. जनपद एवं स्थानीय संस्था का पंजीकरण करना।
3. सभी प्रकार के स्काउट गाइड दलों व इकाई का पंजीकरण करना।
4. प्रादेशिक परिषद की बैठक समन्वय के साथ निर्धारित करना।
5. प्रादेशिक संस्था के कोष एवं सम्पतियों को नियंत्रित एवं प्रबन्धन करना।
6. सम्बन्धित वार्षिक बजट, वार्षिक ऑडिट, वार्षिक बैलेन्सशीट, वार्षिक लेखा विवरण को परिषद में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृत करने हेतु संस्तुति के साथ परिषद को अग्रसारित करना।
7. समय पर कोषाध्यक्ष का चयन करना।
8. प्रदेश संस्था की उपनियमावली में आवश्यकतानुसार नियम निर्मित करना/हटाना/संवर्द्धन करना/परिवर्तन करना/प्रवर्धन करना तथा अनुशंसा

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तरा

के साथ प्रादेशिक परिषद एवं मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करना।

(i) प्रदेश मुख्यायुक्त की अभिशंसा पर सात ट्रस्टी नियुक्त करना जिनमें प्रादेशिक मुख्यायुक्त, आयु से वरिष्ठ प्रादेशिक आयुक्त स्काउट और प्रादेशिक आयुक्त गाइड पदेन सदस्य होगें तथा शेष 4 सदस्य जो प्रादेशिक मुख्यायुक्त निर्धारित करे अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये होगें।

विशेष– ट्रस्टी सदस्यों के पद पर रिक्तता की स्थिति में उक्त रूल का उपयोग किया जायेगा।

(ii) प्रदेश संस्था की चल–अचल सम्पत्ति के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति की देखभाल प्रदेश संस्था के हित में ट्रस्टीज (न्यासियों) द्वारा की जायेगी।

(iii) परन्तु किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उन्हें हटाने के कारण हुए रिक्त पद पर नये ट्रस्टी की नियुक्ति प्रादेशिक मुख्यायुक्त की अभिशंसा पर कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी।

9. प्रदेश संस्था के पदों को स्वीकृत करना, उनकी वेतन श्रृखंला का निर्धारण एवं सेवा नियम बनाना।

10. नियमों के अनुसार पदक एवं पुरस्कारों के लिए अभिशंसा करना।

11. जिला या मंडल अथवा स्थानीय संस्था की वार्षिक पंजीकरण शुल्क तथा व्यक्तिगत् सदस्यता शुल्क का निर्धारण करना।

12. आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजनार्थ अन्य उपसमितियों का गठन।

13- आवश्यकतानुसार स्काउट व गाइड विंग के लिए एक–एक समन्वयक अधिकारी की नियुक्ति करना जो कि अन्य राज्यों अथवा अन्य देशों से आने वाले अतिथि जिनके पास लिखित परिचय हो से समन्वय बना सके /आतिथ्य कर सके।

14. संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, नियम, उपनियमों के प्रकाश में स्काउट/गाइड दलों, स्थानीय संस्था, जिला या मंडल संस्था के कार्यक्रमों तथा कियाकलापों में सामन्जस्य तथा समन्वय स्थापित करना और उचित मार्ग दर्शन देना।

15. स्काउटिंग /गाइडिंग के लक्ष्य, उद्देश्य, नीति सम्बन्धित मामलों के विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक प्रयास करना और जिला या मंडल और स्थानीय संस्था तथा समान उद्देश्यों वाले अन्य संगठनों से सहयोग एवं सामन्जस्य स्थापित करना।

16. उत्तराखण्ड प्रदेश संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकरणों पर विचार विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही करना।

17. प्रदेश संस्था में किसी व्यक्ति की सदस्यता स्वीकृत करना।

ब— प्रदेश कार्यकारिणी समिति अपने कार्य एवं अधिकारों को निश्चित, समय,उद्देश्य व कार्य के लिए प्रदेश संस्था के किसी पदाधिकारी या समिति को हस्तान्तरित कर सकेगी तथा ऐसे अधिकारों को वापस भी ले सकेगी।

31— कार्यकारिणी की समिति की बैठक–

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate

348

(अ)

(i) प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। आवश्यकता पडने पर प्रदेश मुख्यायुक्त द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक निर्धारित कर सकेंगे।

(ii) प्रदेश मुख्यायुक्त द्वारा कार्यकारिणी समिति सभा की अध्यक्षता की जायेगी। प्रदेश मुख्यायुक्त की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित आयु में वरिष्ठ प्रदेश आयुक्त द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। प्रदेश मुख्यायुक्त व प्रदेश आयुक्त दोनों की अनुपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्यों में से चयनित सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।

(ब)

(i)- कोरम के लिए कम से कम 6 सदस्य जिनमें 3 निर्वाचित हो, की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(ii)- बैठक के निश्चित समय से आधे घंटे पश्चात तक कोरम पूरा न हो सके तो उक्त बैठक स्थगित कर दी जायेगी। यह स्थगित बैठक अगले दिन उसी समय और उसी स्थान पर आयोजित होगी। इस बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और उपस्थित सदस्य उस कार्य सूची पर निर्णय कर सकेंगे। जो पूर्व में प्रसारित की है। इस स्थगित बैठक में कार्यसूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

(स) बैठक की सूचना, बैठक की तिथि से दस दिन पूर्व बैठक का समय, तिथि एवं स्थान के विवरण सहित डाक द्वारा प्रेषित की जानी होगी।

(द) तात्कालिक, गम्भीर, महत्वपूर्ण एवं अतिआवश्यक विषयों को प्रादेशिक मुख्यायुक्त परिचालन विधि से समिति की कुल संख्या के अनुसार बहुमत के आधार पर भी पारित करवा सकते हैं ऐसे विषय को आगामी कार्यकारिणी में भी रखना होगा।

32— प्रादेशिक वयस्क संसाधन समिति —

(i)- आन्दोलन में वयस्कों का सदुपयोग प्रबन्धन एवं सर्वागींण विकास के सम्बन्ध में समय समय पर कार्यकारिणी एवं प्रादेशिक परिषद को संस्तुतियां प्रदान करने / अग्रसारित करने के उद्‌देश्य से प्रादेशिक आयुक्त (मुख्यालय), सहायक प्रादेशिक आयुक्त, प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्का0 / गा0, प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्का0 / गा0 को सम्मलित करते हुये उक्त समिति का गठन किया जायेगा।

(ii)- प्रादेशिक मुख्यायुक्त इस समिति में 6 जिला आयुक्तों व 6 प्रशिक्षण आयुक्तों जिनमें से प्रत्येक में 3–3 महिलाऐं होंगी को नामित कर सकती है। प्रादेशिक

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराख

मुख्यायुक्त दो सदस्या यूथ कमेटी में से जिनमें 1 महिला के लिये आरक्षित है, नामित कर सकते हैं।

(iii)- प्रादेशिक आयुक्त स्काउट (एडल्ट रिसोर्स) एवं प्रादेशिक आयुक्त गाइड (एडल्ट रिसोर्स) मे जो भी अनुभव से वरिष्ठ होगा समिति का चेयरपरसन होगा, एवं वरिष्ठता से द्वितीय, आयुक्त को–चेयरपरसन होंगे।

(iv)- सेवा से वरिष्ठ प्रदेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट या गाइड प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त गाइड इस समिति के सचिव होगें।

33— प्रादेशिक कार्यकम समिति

(i)- स्काउट एवं गाइड दोंनो विभागों हेतु एक प्रादेशिक कार्यकम समिति का गठन किया जायेगा। कार्यकम समिति में अनुभव से वरिष्ठ प्रादेशिक आयुक्त अध्यक्षता करेंगे। प्रादेशिक संगठन आयुक्तस्काउट एवं गाइड, संयुक्त / सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट एवं गाइड, समस्त जिला संगठन आयुक्त स्का0 / गा0समिति के सदस्य होंगे।

(ii)- प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक युवा समिति में से दो युवाओं को सदस्य नामित करेंगे। प्रादेशिक संगठन आयुक्त जो आयु से वरिष्ठ हों वे प्रादेशिक कार्यक्रम समिति के संयोजक होंगे।

(iii). योजना समिति दीर्घ एवं अल्प कालीन दोनों तरह की योजनाओं का निर्माण व पुनः समीक्षा, लक्ष्य प्राप्ति के उदेदश्य से कर सकेगी।

(iv)- प्रादेशिक योजना समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में इस उदेद्श्य से आयोजित की जायेगी कि वह राष्ट्रीय योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदेश योजना का निर्माण व पुनः समीक्षा कर सके जो की राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी ने निर्धारित किये हों।

34— प्रादेशिक प्रशिक्षण समिति

(i) स्काउट एवं गाइड दोंनो विभागों हेतु एक प्रादेशिक प्रशिक्षण समिति का गठन किया जायेगा। कार्यकम समिति में आयु से वरिष्ठ प्रादेशिक आयुक्त वयस्क संसाधन चेयरपरसन करेंगे । आयु से वरिष्ठता कम में दूसरे प्रादेशिक आयुक्त वयस्क संसाधन को–चेयरपरसन होंगे। प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट एवं गाइड ,सहायक प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट एवं गाइड, समस्त जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्का0 / गा0 समिति के सदस्य होंगे।

(ii)- प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रादेशिक युवा समिति में से दो युवाओं को सदस्य नामित करेंगे। प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त जो आयु से वरिष्ठ हों वे प्रादेशिक कार्यकम समिति के संयोजक होंगे।

(iii)- प्रशिक्षण समिति दीर्घ एवं अल्प कालीन दोनों तरह की प्रशिक्षण योजनाओं का निर्माण व पुर्नसमीक्षा, लक्ष्य प्राप्ति के उदेद्श्य से कर सकेगी।

(iv)- प्रादेशिक प्रशिक्षण समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में इस उदेद्श्य से आयोजित की जायेगी कि वह राष्ट्रीय योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउटस एवं गाइडस

(346)

प्रदेश योजना का निर्माण व पुर्नसमीक्षा कर सके जो कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी ने निर्धारित किये हों।

35— प्रादेशिक युवा समिति

(i) प्रादेशिक युवा समिति में सभी जनपदों के युवा कमेटी के चेयरपरसन एवं को–चेयरपरसन सदस्य होंगे।

(ii) प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा समिति के चेयरपरसन एवं को–चेयरपरसन नामित किये जायेंगे जिनमें से एक महिला होगी।

(iii) समिति के चेयरपरसन द्वारा समिति के एक सदस्य को समिति का सचिव मनोनीत किया जायेगा।

(iv) समिति का कार्यकाल प्रादेशिक परिषद के कार्यकाल के समानुपाती होगा अथवा नई समिति के गठन तक अस्तित्व में रहेगी। यदि किन्ही भी कारणों से जनपद से नाम अप्राप्त रहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रादेशिक मुख्यायुक्त जनपद संस्थाओं के युवाओं को समिति में सदस्य नामित कर सकते हैं।

(v) युवा समिति प्रदेश स्तर की नवीन गतिविधियों की संस्तुति कर प्रादेशिक कार्यक्रम समिति को अग्रसारित करेगी।

(vi) प्रादेशिक युवा समिति के चेयरपरसन एवं को–चेयरपरसन प्रादेशिक कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

विशेष– युवा समिति में सदस्यों की आयु 18 से 29 वर्ष के मध्य रहेगी।

36 बैठकों की सूचना–

(i) ~~समस्त बैठकों की सूचना सदस्यों के पतों पर साधारण डाक से भेजी जायेगी।~~

(ii) ~~सभी सदस्य पता परिवर्तन होने की स्थिति में अपने पूर्ण डाक पते की सूचना प्रदेश सचिव को भेजेगें। प्रदेश सचिव सदस्यों के पूर्ण डाक पतों का एक पंजिका में विवरण रखेगें।~~

(iv) किसी सदस्य द्वारा अपना वास्तविक पूर्ण डाक पता प्रादेशिक सचिव/प्रादेशिक मुख्यालय में उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बैठक व अन्य सम्बन्धित सूचना उस सदस्य को नहीं भेजी जायेगी, ऐसे सदस्यों को स्वयं अपने प्रयास से बैठक आदि की सूचना प्राप्त करनी होगी।

(v) डाक या अन्य किसी माध्यम से सदस्यों को भेजी गयी बैठक की सूचना व्यवहारिक व्यवधान अथवा मौलिक कारण से प्राप्त न होने पर बैठक के किसी भी निर्णय को अमान्य नही किया जा सकेगा।

37 विशेष कोष–

संस्था को निरन्तर संचालित रखने के उद्देश्य से विभिन्न श्रोतो से प्राप्त निधि से निधि से विशेष स्थायी कोष निर्मित किये जायेगें जैसे कॉरपस फण्ड/ट्रस्ट

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

जिनके माध्यम से विषम परिस्थितियों में प्रादेशिक मुख्यालय के कार्य व कर्मचारियों को संस्था में नियमित रखा जाने हेतु सहयोग प्राप्त/लिया जाऐगा ।

38 वित्तीय नियमावली–

संस्था के वित्त सम्बन्धी नियमों का संकलन वित्त नियमावली में होगा जिसके अनुसार ही समस्त वित्त सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे। समय–समय पर आवश्यकता पर विधिनुसार वित्त समिति के प्रस्तावों को विधायी स्वीकृति के साथ इसमें संशोधन किया जा सकेगा।

39 सेवानियमावली–

प्रदेश संस्था के कर्मचारियों हेतु प्रदेश की अपनी नियमावली है। प्रदेश संस्था में वेतन, मानदेय अन्य प्रकार के पारिश्रमिक आदि पर रखें जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवानियमावली के नियम ही अन्तिम होगें। समय–समय पर आवश्यकता पर विधिनुसार प्रशासनिक विभाग के प्रस्तावों को विधायी स्वीकृति के साथ इसमें संशोधन किया जा सकेगा। इस नियमावली के अन्तगत समय–समय पर आवश्यकतानुसार ई0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, एल0टी0सी0, ई0एल0 एवं स्वास्थ आदि न्यासों का गठन भी किया जा सकता है ।

40– चुनाव प्रक्रिया–(आवश्यकतानुसार /उपाध्यक्ष पद हेतु)।

(i)– (अ)–निर्वाचन इलैक्ट्राल कॉलेज के माध्यम से किया जायेगा ।
(ब)–इलैक्ट्रॉल कॉलेज का गठन राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 'रूलबुक' नामक पुस्तिका के चैप्टर –3 स्टेट एसोसिएसन के 'रूल' रूल नम्बर–59.1, 59.2 एवं 59.3 पेज नम्बर 50 के अनुसार होगा ।

(ii)– निर्वाचन का कैलेण्डर कार्यकारिणी समिति की बैठक में अथवा निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा । जिसमें नामांकन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच तिथि वैध व अवैध पाये गये नामांकन पत्रों की सूची प्रकाशन की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, नाम वापस लिए जाने के उपरान्त उम्मीदवारों की अन्तिम सूची प्रकाशन की तिथि, निर्वाचन की तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख किया जायेगा ।

(iii)– प्रदेश सचिव निर्वाचन अधिकारी होंगे एवं उनके द्वारा निर्वाचन कलैण्डर प्रसारित किया जायेगा । जिसकी तिथियों के अनुरूप ही चुनाव प्रकिया सम्पन्न की जानी होगी ।

(iv)– प्रदेश सचिव प्रदेश परिषद की बैठक की सूचना की तिथि से 40 दिन पूर्व स्थान, समय व तिथि के साथ भेजेगें । बैठक की तिथि से 30 दिन पूर्व परिषद के

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

सदस्यों की सूची एवं निर्वाचन कलैण्डर सहित सूचना प्रदेश परिषद के सदस्यों को भेजी जायेगी ।

(v)– नियम व उपनियम के तहत अधिकृत व्यक्ति ही प्रत्याशी हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

(vi)– नामांकन एवं निर्वाचन प्रकिया को व्यवस्थित करने एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्वाचन नियम व शुल्क निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न नियम व शुल्क निर्धारित किये जायेगें ।जिनका पालन नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।

(vii)– नामांकन पत्र–प्रपत्र (प्रपत्र क)में भरा जायेगा । नामांकन पत्र के प्रस्तावक, समर्थक को प्रदेश परिषद का सदस्य होना अनिवार्य होगा ।

(viii)– नामांकन पत्र पर प्रस्तावक , समर्थन एवं स्वयं उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होगे । एक सदस्य या तो प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है । परन्तु एक से अधिक पद है तो वह उन पदों की संख्यानुसार/संख्या के समानुपाती एक सदस्य प्रस्तावक या समर्थक हो सकता है ।

(ix)– नामांकन पत्र, निर्वाचन अधिकारी के पास बैठक की तिथि से 20 दिन पूर्व तक पहुँचना अनिवार्य होगा ।

(x)– नामांकन पत्र के साथ निर्धारित No Dues प्रमाण पत्र (प्रपत्र ग) लगा होना चाहिए अर्थात नामांकन करने वाले व्यक्ति के उपर संस्था के प्रति को चल,अचल सम्पत्ति या अन्य देनदारी न हो अन्यथा नामांकन रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। नामांकन पत्र यदि निर्धारित प्रपत्र में नही है, कटा–फटा/अपठनीय/संदेहास्पद जैसी स्थिति में है अथवा निर्वाचन अधिकारी के समक्षनियम तिथि व समय पर प्राप्त नही होता है या सदस्य नियमों एवं उपनियमों के तहत पद को धारण करने के अयोग्य है अथवा नामांकन पत्र ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित या समर्थित किया हुआ है जो नियमों या उपनियमों के तहत अधिकृत नही है या निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अन्य युक्तियुक्त कारण है तो नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवैध माना जा सकता है ।

(xi)– निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की,जो तिथि इस आशय हेतु निर्धारित हुई है पर जांच करेगा और वैध एवं अवैध नामांकन पत्रों की घोषणा करेगा ।

(xii)– निर्वाचन अधिकारी वैध माने जाने वाले नामांकन पत्रों की सूची तैयार करेगा एवं एक प्रति प्रदेश मुख्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । यदि सम्भव हो तो एक प्रति स्वयं प्रत्याशी को डाक अथवा फैक्स द्वारा भेजी जायेगी, प्रत्याशियों द्वारा मुख्यालय के दूरभाष पर भी जानकारी एकत्र की जा सकेगी ।

(xiii)– उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा नियम तिथि व समय जो इसके लिए निर्धारित किया गया है, तक लिखित सूचना (प्रपत्र ख)जिस पर हस्ताक्षर होगें, के द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है ।

(xiv)– नाम वापस लेने की तिथि व समय समाप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की सूची तैयार करेगा व एक प्रति प्रदेश मुख्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

की जायेगी । यदि सम्भव हो एवं एक प्रति स्वयं प्रत्याशी को डाक अथवा फैक्स द्वारा भेजी जायेगी, प्रत्याशियों द्वारा मुख्यालय के दूरभाष पर भी जानकारी एकत्र की जा सकेगी ।

(xv)– उक्त पदों की संख्या के समान ही उम्मीदवारों की संख्या होने पर निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारो को निर्वाचित हुआ घोषित कर सकेगा । यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के अनुपात में कम है तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारो को निर्वाचित घोषित कर एवं शेष रिक्त पदों के लिए नये सिरे से निर्वाचन प्रकिया नियमों एवं उपनियमों के तहत सम्पन्न करेगा ।

(xvi)– यदि रिक्त पदो की संख्या के अनुपात से अधिक उम्मीदवार है तो प्रदेश परिषद की बैठक में निर्वाचन द्वारा किया जायेगा ।

(xvii)– प्रत्येक सदस्य केवल एक मत देने का अधिकारी होगा । रिक्त पदों की संख्या यदि एक से अधिक हुई तो उसी अनुपात में प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग मत देने का अधिकारी होगा । उस स्थिति में भी एक सदस्य एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नही दे सकेगा ।

(xviii)– कोई भी मत अपरोक्ष अथवा माध्यम से (प्रोक्सी) नही दिया जायेगा । मत विभाजन आवश्यकतानुसार चुनावधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से सम्पन्न कराये जा सकते हैं ।

क– ध्वनि मत से।

ख– हाथ उठाकर गणना से।

ग– गोपनीय मत/मत पत्र द्वारा

नोट 1– किसी भी पद के एक भी प्रत्याशी की मांग पर यह आवश्यक हो जायेगा कि चुनाव अधिकारी उस पद पर मतदान हेतु वर्ग ग– गोपनीय मत/मत पत्र द्वारा मतदान करायें।
2– यदि चुनाव अधिकारी का वोट है तो वह सीधे मतदान में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। वर्ग ग में चुनाव अधिकारी अपना मतदान कर सकता है।

(xix)– मत पत्र का प्रारूप (प्रपत्र घ) के अनुसार होगा और उसमें प्रत्याशियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अंकित होगें ।

(xx)– प्रत्येक मत पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मत पत्र पर उम्मीदवार के नाम के सामने प्रारूप (प्रपत्र घ) सील चिन्हित करेगें और गोपनीय रूप से मतदान पेटी में डालेगें ।

(xxi)– सदस्य मतपत्र प्राप्त करने के उपरान्त मत पत्र पर उम्मीदवार के नाम के सामने प्रारूप (प्रपत्र घ)सील चिन्हित करेंगें और गोपनीय रूप से मतदान पेटी में डालेगें ।

(xxii)– निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर विभिन्न पदों के लिए मत पेटियां से मत प्राप्त कर उनकी गणना करेगा गणना के लिए ऐसे किसी अन्य व्यक्तियों की सहायता भी ली जा सकेगी जो स्वयं किसी पद के लिए उम्मीदवार, प्रस्तावक या समर्थक न हो ।

(xxiii)– वह मत पत्र अवैध होगा जिस पर राज्य संस्था की सील एवं निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये जाते है ।

(xxiv)– यदि मत पत्र पर मतदाता ने हस्ताक्षर कर दिये या ऐसा अन्य कोई चिन्ह लगा दिया है जिससे कि मतदाता की पहचान हो सके तो वह मतपत्र अवैध होगा ।

(xxv)– यदि उम्मीदवार के मतदान करने के नियम स्थान पर मुद्रा अन्य कोई चिन्हित नही की है या एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे मतदान किया है

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउटस एवं गाइडस उत्तराखण्ड

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,

342

जबकि एक ही व्यक्ति का निर्वाचन होना है या निर्वाचन होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनुपात से अधिक से अधिक उम्मीदवारो के पक्ष में चिन्ह लगाया हो तो मत पत्र अवैध होगा ।

(xxvi)– एक से अधिक पदों वाले निर्वाचन में उम्मीदवार, डाले गये मतों की संख्या में अधिकतम मत प्राप्त करता है उसे सर्वप्रथम निर्वाचित घोषित किया जायेगा और उसके बाद में कमशः दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा, यदि रिक्त पर एक से अधिक स्थान हो।

(xxvii)– मत पत्रों के बराबर होने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी के निर्णयानुसार पुर्नमतदान अथवा पर्ची डालकर निर्णय किया जायेगा ।

(xxviii)– परिषद कार्यकारिणी व अन्य समितियों के मत विभाजन प्रस्तावित विषयों को पारित करने व पदो के प्रति चुनावों में तथा विभिन्न समितियों में निर्वाचन के समय आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा । उक्त (क), (ख) एवं (ग) प्रस्तावक व विषयों एवं निर्वाचन हेतु सम्मति प्राप्त करने हेतु सामान्यतः मत विभाजन की व्यवस्था समिति, परिषद व कार्यकारिणी की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से ही कराया जायेगा ।

(xxix)– परिषद के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी प्रादेशिक सचिव होंगे ।

(xxx)– यदि प्रादेशिक सचिव अवैतनिक होने या अन्य कारणों से स्वयं किसी पद के दावेदार है तो वहां संयुक्त सचिव अथवा परिषद द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(xxxi)– ध्वनि मत एवं हाथ उठाकर मत विभाजन कराने का अध्यक्ष अथवा निर्वाचन अधिकारी मत व्यक्त नही करेगा जिससे यह गोपनीय रहे कि उसका मत किस ओर है । अन्यथा अन्य मतदाता इससे प्रभावित होंगे मतपत्र द्वारा गोपनीय निर्वाचन की अवस्था में अध्यक्ष एवं निर्वाचन अधिकारी जो यदि मतदाता है तो वह भी मतदान कर सकेगा ।

(xxxii)– मतपत्रों द्वारा प्रस्ताव या अन्य विषय पारित करने की अवस्था में दोनों पक्षों में 50:50 की स्थिति आती है तो केवल उस स्थिति का अध्यक्ष यदि उचित समझे तो अपना एक अतिरिक्त खुला वोट /मत देकर विषय पारित कर सकेगा और यदि उचित समझे तो समय प्रदान कर पुनः निर्वाचन की प्रकिया कर सकेगा ।

(xxxiii)– किसी भी निर्वाचन समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था दिये जाने की अवस्था में अध्यक्ष समस्त प्रकिया समाप्त होने के बाद केवल अन्त में अपना मत व्यक्त कर सकेंगे या भाषण देंगे जिससे कि अध्यक्ष के भाषण व पक्ष को देखते हुए अन्य मतदाता प्रभावित न हो ।

(xxxiv)– अध्यक्ष के भाषण अथवा मत व्यक्त करने के पश्चात कोई भी मतदान की प्रकिया या विषय पारित करने की कार्यवाही सम्पन्न नही की जायेगी ।

(xxxv)– परिषद के चुनाव के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य समितियों में भी विषयों और प्रस्तावों पर अथवा मतदान हेतु प्रादेशिक सचिव द्वारा विधायी विभाग की मांग पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है ।

41– उक्त उपनियमावली के किसी भी खण्ड अनुच्छेद नियम में सन्देह/अस्पष्टता होने पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रूल के मूल नियम मान्य होगें । किसी भी

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,

प्रकार के उपनियमावली सम्बन्धी विवाद, अस्पष्टता में राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त का निर्णय अनन्तिम होगा ।

....

यह **उपनियमावली** मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के हस्ताक्षर द्वारा पारित होने के पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

यह कि **उपरोक्त (उपनियमावली)** प्रादेशिक नियमावली राष्ट्रीय मुख्यालय का ई–मेल पत्र दिनांक 07 अप्रैल 2022 के अनुपालन में पुनः संशोधित होकर दिनांक 05.04.2022 को **प्रादेशिक परिषद एवं कार्यकारिणी के पटल पर प्रस्तुत किये जाने एवं पारित होने की प्रत्याशा में राष्ट्रीय मुख्यालय को कार्यवाही हेतु प्रेषित ।**

यह **उपनियमावली** प्रादेशिक कार्यकारिणी दिनांक 21.08.2022 / परिषद की बैठक दिनांक 29.09.2020 में पारित की गयी है ।

-----X------------X----------------X-----------------X--------------X---------X------

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

Amendment page 33 & 34 attested.

21/8/22

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

THE BHARAT SCOUTS & GUIDES N.H.Q. New Delhi-110002
Diary No.
Dt.

उपनियम निम्नलिखित संशोधनों के साथ मंजुर किये जाते हैं–

नियम 29

(xxii) समस्त एल0टी0 स्काउट/रोवर/कब द्वारा स्वयं में से चयनित हर विभाग से एक प्रतिनिधि।

(xxii) समस्त एल0टी0 गाइड/रेंजर/बुलबुल/ वयस्क द्वारा स्वयं में से चयनित हर विभाग से एक प्रतिनिधि

नियम 36

(i) समस्त बैठकों की सूचना सदस्यों के पतों पर साधारण डाक या ईमेल से भेजी जायेगी।

(ii) सभी सदस्य पता या ईमेल में परिवर्तन होने की स्थिति में अपने पूर्ण डाक पते की सूचना प्रदेश सचिव को भेजेगें । प्रदेश सचिव सदस्यों के पूर्ण डाक पतों का एक पंजिका में विवरण रखेगें ।

नियम 40

(xii)– निर्वाचन अधिकारी वैध पाये जाने वाले नामांकन पत्रों की सूची तैयार करेगा एवं एक प्रति प्रदेश मुख्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । यदि सम्भव हो तो एक प्रति स्वयं प्रत्याशी को डाक अथवा ईमेल द्वारा भेजी जायेगी व प्रत्याशियों द्वारा मुख्यालय के दूरभाष पर भी जानकारी एकत्र की जा सकेगी ।

(xiii)– उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक या ईमेल द्वारा निर्धारित तिथि व समय तक लिखित सूचना (प्रपत्र ख) जिस पर हस्ताक्षर होगें, के द्वारा अपना नाम वापस ले सकता है ।

(xiv)– नाम वापस लेने की तिथि व समय समाप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की सूची तैयार करेगा व एक प्रति प्रदेश मुख्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी । यदि सम्भव हो एवं एक प्रति स्वयं प्रत्याशी को डाक या ईमेल द्वारा भेजी जायेगी, प्रत्याशियों द्वारा मुख्यालय के दूरभाष पर भी जानकारी एकत्र की जा सकेगी ।

(xvii)– प्रत्येक निर्वाचन इलैक्ट्राल कॉलेज सदस्य को जनसंख्या(census) के आधार पर मत देने का अधिकारी होगा । जिसके लिये उसे संख्या(census) आधार पर मत पत्र दिये जायेंगे। रिक्त पदों की संख्या यदि एक से अधिक हुई तो उसी अनुपात में प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग मत देने का अधिकारी होगा ।

(xx)– **Deleted as repeated in XXI**

DRAFT

3/8/22

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

(xxvi)– एक से अधिक पदों वाले निर्वाचन में उम्मीदवार, अधिकतम मत प्राप्त करता है, उसे सर्वप्रथम निर्वाचित घोषित किया जायेगा और यदि एक से अधिक स्थान हो उसके बाद में कमशः दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(xxvii)– मत पत्रों के बराबर होने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी के निर्णयानुसार पर्चा डालकर निर्णय किया जायेगा ।

(xxx)– यदि प्रादेशिक सचिव अवैतनिक होने या अन्य कारणों से या स्वयं किसी पद के दावेदार हैं तो वहां संयुक्त सचिव अथवा कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

निदेशक

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त

Dr. K. K. Khandelwal
Chief National Commissioner

DRAFT

Gmail

AS1 bsgindia <as1bsgindia@gmail.com>

386

RE: Approval of rectified State Bye Laws of the Bharat Scouts and Guides, Uttarakhand State - reg

1 message

THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES <info@bsgindia.org> Mon, Sep 19, 2022 at 1:26 PM
To: bsguttarakhand@gmail.com, bsguttarakhandstatehq@gmail.com
Cc: director@bsgindia.org, ed@bsgindia.org, jdg@bsgindia.org, DDBP <boyprogramme@bsgindia.org>, adnr@bsgindia.org, as1bsgindia@gmail.com, admin@bsgindia.org

To

The State Secretary

The Bharat Scotus and Guide

Uttarakhand State

Dear Sir,

As desired, please find attached herewith the Page No. 31 & 32 of State Bye Laws of the Uttarakhand State Bharat Scouts and Guides for your kind perusal.

Thanking you,

Yours Sincerely,

(Dr. Raj Kumar Kaushik)

Director

From: THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES [mailto:info@bsgindia.org]
Sent: 05 September 2022 10:46
To: 'bsguttarakhand@gmail.com' <bsguttarakhand@gmail.com>; 'bsguttarakhandstatehq@gmail.com' <bsguttarakhandstatehq@gmail.com>
Cc: 'scoutskk@gmail.com' <scoutskk@gmail.com>; 'makscout1@gmail.com' <makscout1@gmail.com>; 'director@bsgindia.org' <director@bsgindia.org>; 'uksecedu@gmail.com' <uksecedu@gmail.com>; 'ed@bsgindia.org' <ed@bsgindia.org>; 'jdg@bsgindia.org' <jdg@bsgindia.org>; 'DDBP' <boyprogramme@bsgindia.org>; 'adnr@bsgindia.org' <adnr@bsgindia.org>; 'as1bsgindia@gmail.com' <as1bsgindia@gmail.com>; 'admin@bsgindia.org' <admin@bsgindia.org>
Subject: Approval of rectified State Bye Laws of the Bharat Scouts and Guides, Uttarakhand State - reg

To

The State Secretary

The Bharat Scotus and Guide

Uttarakhand State

Dear Sir,

Please find the attachment

Thanking you,

Yours Sincerely,

(Raj Kumar Kaushik)

Director

Page No. 31 & 32-Bye Laws-Uttarakhand State.PDF
238K

385

जबकि एक ही व्यक्ति का निर्वाचन होना है या निर्वाचन होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनुपात से अधिक से अधिक उम्मीदवारो के पक्ष में चिन्ह लगाया हो तो मत पत्र अवैध होगा ।

(xxvi)– एक से अधिक पदों वाले निर्वाचन में उम्मीदवार, डाले गये मतों की संख्या में अधिकतम मत प्राप्त करता है उसे सर्वप्रथम निर्वाचित घोषित किया जायेगा और उसके बाद में क्रमशः दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा, यदि रिक्त पर एक से अधिक स्थान हो।

(xxvii)– मत पत्रों के बराबर होने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी के निर्णयानुसार पुर्नमतदान अथवा पर्चो डालकर निर्णय किया जायेगा ।

(xxviii)– परिषद कार्यकारिणी व अन्य समितियों के मत विभाजन प्रस्तावित विषयों को पारित करने व पदो के प्रति चुनावों में तथा विभिन्न समितियों में निर्वाचन के समय आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा । उक्त (क), (ख) एवं (ग) प्रस्तावक व विषयों एवं निर्वाचन हेतु सम्मति प्राप्त करने हेतु सामान्यतः मत विभाजन की व्यवस्था समिति, परिषद व कार्यकारिणी की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से ही कराया जायेगा ।

(xxix)– परिषद के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी प्रादेशिक सचिव होंगे ।

(xxx)– यदि प्रादेशिक सचिव अवैतनिक होने या अन्य कारणों से स्वयं किसी पद के दावेदार है तो वहां संयुक्त सचिव अथवा परिषद द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(xxxi)– ध्वनि मत एवं हाथ उठाकर मत विभाजन कराने का अध्यक्ष अथवा निर्वाचन अधिकारी मत व्यक्त नही करेगा जिससे यह गोपनीय रहे कि उसका मत किस ओर है । अन्यथा अन्य मतदाता इससे प्रभावित होंगे मतपत्र द्वारा गोपनीय निर्वाचन की अवस्था में अध्यक्ष एवं निर्वाचन अधिकारी जो यदि मतदाता है तो वह भी मतदान कर सकेगा ।

(xxxii)– मतपत्रों द्वारा प्रस्ताव या अन्य विषय पारित करने की अवस्था में दोनों पक्षों में 50:50 की स्थिति आती है तो केवल उस स्थिति का अध्यक्ष यदि उचित समझे तो अपना एक अतिरिक्त खुला वोट /मत देकर विषय पारित कंर सकेगा और यदि उचित समझे तो समय प्रदान कर पुनः निर्वाचन की प्रकिया कर सकेगा ।

(xxxiii)– किसी भी निर्वाचन समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था दिये जाने की अवस्था में अध्यक्ष समस्त प्रकिया समाप्त होने के बाद केवल अन्त में अपना मत व्यक्त कर सकेंगे या भाषण देंगे जिससे कि अध्यक्ष के भाषण व पक्ष को देखते हुए अन्य मतदाता प्रभावित न हो ।

(xxxiv)– अध्यक्ष के भाषण अथवा मत व्यक्त करने के पश्चात कोई भी मतदान की प्रकिया या विषय पारित करने की कार्यवाही सम्पन्न नही की जायेगी ।

(xxxv)– परिषद के चुनाव के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य समितियों में भी विषयों और प्रस्तावों पर अथवा मतदान हेतु प्रादेशिक सचिव द्वारा विधायी विभाग की मांग पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है ।

41– उक्त उपनियमावली के किसी भी खण्ड अनुच्छेद नियम में सन्देह/अस्पष्टता होने पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रूल के मूल नियम मान्य होगें । किसी भी

24/8/22

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

प्रकार के उपनियमावली सम्बन्धी विवाद, अस्पष्टता में राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ।

....

यह **उपनियमावली** मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के हस्ताक्षर द्वारा पारित होने के पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

यह **उपनियमावली** प्रादेशिक कार्यकारिणी दिनांक 21.08.2020 तथा प्रांदेशिक परिषद दिनांक 29.09.2020 को अनुमोदित पुनः संशोधन कर 10 जून 2021को प्रादेशिक कार्यकारिणी की बैठक में पुनः पारित की गयी है ।

-----X-------------X-----------------X------------------X---------------X----------X------

Amended page 33 & 34 attached

24/8/22

Director
THE BHARAT SCOUTS & GUIDES
Lakshmi Mazumdar Bhawan,
16, M. G. Marg, I. P. Estate,
New Delhi-110002

प्रादेशिक सचिव
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड